क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	सूचना	1
2	निदेशक की रिपोर्ट	5
3	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	21
4	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	22
5	अनुपालन प्रमाण–पत्र	29
6	तुलन–पत्र	30
7	लाभ और हानि लेखा	31
8	इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण	32
9	नकदी प्रवाह का विवरण	33
10	वित्तीय खातों के लिए नोट्स	34
11	उपस्थिति पर्ची	51
12	प्रॉक्सी फॉर्म	52

वैधानिक लेखापरीक्षक

मेसर्स राजेश कृष्णा खन्ना एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउटेंट्स

6ए/1, द्वितीय तल, डब्ल्यू.ई.ए., करोल बाग, नई दिल्ली–110005

फोन : 011–25733104, 41450998, फैक्स नं : 011–41450998

पंजीकृत एवं व्यावसायिक कार्यालय

पाँचवां तल, प्लेट–ए, एनबीसीसी टॉवर–02

ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023,

फोन : 011–24665900–10

वेबसाइट : www.iifclmf.com

सीआईएन : U65991DL2012GOI233601

ई–मेल : complianceofficer@iifclmf.com

बैंकर्स

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

निदेशक मंडल

श्री पंकज जैन
अध्यक्ष

श्री अनिल कुमार तनेजा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

डॉ. पवन सिंह
स्वतंत्र निदेशक
(1 अप्रैल, 2019 से निदेशक के रूप में सीज)

श्री सुधीर आर्य
स्वतंत्र निदेशक
(30 जुलाई, 2019 से निदेशक के रूप में सीज)

श्री संदीप अग्रवाल
स्वतंत्र निदेशक
(5 सितम्बर, 2019 से निदेशक के रूप में नियुक्त)

आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

(आई.आई.एफ.सी.एल. के पूर्ण स्वामित्व वाली संबद्ध कंपनी, भारत सरकार का एक उपक्रम)

सीआईएन : U65991DL2012GO1233601

पंजीकृत कार्यालय : पाँचवां तल, प्लेट–ए, एनबीसीसी टॉवर–02, ईस्ट किदवई नगर
नई दिल्ली–110023, **फोन** : 011–24665900–10

ई–मेल : complianceofficer@iifclmf.com, वेबसाइट : www.iifclmf.com

सूचना

सुचना इस प्रकार दिया गया है कि आई.आई.एफ.सी.एल. एसैज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की छठी वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 27 सितंबर, 2019 को 2.30 बजे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), पाँचवां तल, प्लेट–ए, एनबीसीसी टॉवर–02, ईस्ट किदवई नगर नई दिल्ली–110023 के मीटिंग रूम में आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य

1) निदेशक मंडल की रिपोर्टों और उनकी लेखापरीक्षा के साथ–साथ 31 मार्च, 2018 का लेखापरीक्षित तुलन–पत्र और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि के विवरण को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें अपनाना।

2) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 139(5) के अनुपालन में एक सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 142(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सी.एड.ए.जी.) द्वारा नियुक्त अथवा पुनर्नियुकत किए जाते हैं, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में निर्धारित किया जाना है।

सोमवार 12 सितंबर 2018 को संपन्न छठी वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों ने निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया था। तदनुसार निदेशक मंडल द्वारा विधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2018–2019 के दौरान 65000/– रु. (पैंसठ हजार रू. केवल) लेखापरीक्षा शुल्क सहित सेवा कर का भुगतान निर्धारित किया गया था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.एड.ए.जी.) कार्यालय ने अपने पत्र सं. सीएवी/कॉय/सेंटल गर्वन्मेंट, आईआईएफसीएल (0)/397, दिनांक 02–08–2018 के अंतर्गत मैसर्स राजेश कृष्ण खन्ना एंड एसोसिएट्स (डीई1116), चार्टर्ड अकाउंटेंट, 6ए/1 डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली–110005 को (आई.आई.एफ.सी.एल.) एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का वर्ष 2019–20 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है जिसके लिए एक सरकारी कंपनी में वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 139 के प्राधवानों का अनुपालन किया गया है। कंपनी के सदस्य निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों के लिए, जैसा वे उचित समझें, एक समुचित पारिश्रमिक राशि के निर्धारिण के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

विशेष कार्य

3) श्री संदीप अग्रवाल (डी.आई.एन. 08553176) को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में, यदि उचित सामान्य संकल्प समझा जाए तो आशोधनों के साथ अथवा बिना पारित करने पर विचार करना :

''कृतसंकल्प हैं कि कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 152 और 161 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और शैक्षणिक योग्यता) नियम, 2014 (किसी वैधानिक आशोधन अथवा उसके पुनः बनाए जाने, जो इस समय लागू हो, सहित) के अनुपालन में, श्री संदीप अग्रवाल (डी.आई.एन. 08553176) जिन्हें कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अपर निदेशक नियुक्त किया गया था और बाद में (आई.आई.एफ.सी.एल.) म्युचुअल फंड (आईडीएफ) के बोर्ड ऑफ ट्रंस्टी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संदर्भ में दिनांक 5 सितम्बर, 2019 से इस वार्षिक आम बैठक होने की तारीख तक पद संभालने के लिए नियुक्त किया गया था, को एतद् द्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए बाध्य नहीं होंगे।''

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
कृते
अजय पीएस सैनी
प्रमुख – कंपनी सचिवालय एवं कम्पलाइंसेस
सदस्यता सं. – एफसीएस.5786

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितम्बर, 2019

पंजीकृत कार्यालय :
पाँचवां तल, प्लेट–ए,
एनबीसीसी टॉवर–02, ईस्ट किदवई नगर
नई दिल्ली–110023, फोन : 011–24665900–10
ई–मेल : complianceofficer@iifclmf.com
सीआईएन : U65991DL2012GOI233601

टिप्पणियां :

1. कोई सदस्य जो बैठक में भाग लेने तथा वोटे देने का पात्र है, वह अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के लिए किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने का पात्र होता है और उक्त प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2. प्रतिनिधियों को अधिकृत बनने के लिए कंपनी की ओर से वार्षिक आम बैठक के आयोजन से कम से कम 48 घंटे पूर्व आदेश की प्राप्ति हो जानी चाहिए। प्रतिनिधि के लिए खाली फार्म सलंग्न है।
3. कॉरपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि के साथ बोर्ड के संकल्प/पावर ऑफ अटॉर्नी/अधिकृत करने संबंधी प्राधिकार की पूर्णतया प्रमाणित प्रतियां भिजवाएं। वैकल्पिक रूप से, पूर्णतया प्रमाणित उक्त प्राधिकार बैठक में कॉरपोरेट बॉडी की ओर से भाग लेने वाले प्रतिनिधि द्वारा लाया जाना चाहिए।
4. निदेशक के रूप में प्रस्तावित श्री संदीप अग्रवाल के संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न किया जाता है और यह सूचना का हिस्सा होगा।
5. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी रूप में एक–दूसरे से संबद्ध नहीं है।
6. संलग्न सूचना में उल्लिखित समस्त दस्तावेज का वार्षिक आम बैठक से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में (शनिवार और रविवार को छोड़कर) प्रातः 11.00 बजे से अपराह 1.00 बजे के बीच कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
7. वे सदस्य, जो कंपनी के लेखा और संचलन संबंधी कार्यों की कोई जानकारी/स्पष्टीकरण लेने चाहते हों अथवा कोई प्रश्न करना चाहते हों, अपने अनुरोध बैठक की तारीख से कम से कम 10 दिन पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भिजवा सकते हैं ताकि उन पर समुचित तरीके से कार्यवाही की जा सके।
8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति स्लिप लेकर आएं।
9. वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल का रूट मैप संलग्न है।

सूचना का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुपालन में स्पष्टीकरण संबंधी विवरण

मद सं. 3:

आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमि. के निदेशक मंडल और आई.आई.एफ.सी.एल. म्युचुअल फंड (आईडीएफ) के ट्रस्टी बोर्ड ने 5 सितम्बर, 2019 को आयोजित 46वीं संबद्ध बैठकों में सर्कुलर संकल्प पारित कर श्री संदीप अग्रवाल (डीआईएन:08553176) को दिनांक 5 सितम्बर, 2019 को आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड का अपर निदेशक नियुक्त किया है, जो इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक कार्यभार संभालेंगे, बशर्ते (आई.ए.एम.सी.एल.) के शेयर धारक अनुमति प्रदान करें।

उनके संक्षिप्त जीवन वृत्त के साथ–साथ विशिष्ट कार्य क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता का उल्लेख करते हुए कंपनी में उनकी शेयरधारिता, अन्य स्थानों पर उनके द्वारा धारित निदेशक के पद, समिति की सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य विवरण अन्य जगह दिए गए हैं जो सूचना का हिस्सा है।

इस संकल्प में, कंपनी का कोई भी निदेशक और प्रबंधन संबंधी कोई प्रमुख कार्मिक अथवा श्री संदीप अग्रवाल (डीआईएन:08553176) के अलाक उनके कोई रिश्तेदार, किसी भी रूप में वित्तीय तौर पर अथवा अन्यथा चिंतित अथवा इच्छुक नहीं हैं।

संकल्प पर आपके अनुमोदन के लिए बोर्ड सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
कृते
अजय पीएस सैनी
प्रमुख – कंपनी सचिवालय एवं कम्पलाइंसेस
सदस्यता सं. – एफसीएस.5786

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितम्बर, 2019

पंजीकृत कार्यालय :
पाँचवां तल, प्लेट–ए,
एनबीसीसी टॉवर–02, ईस्ट किदवई नगर
नई दिल्ली–110023, फोन : 011–24665900–10
ई–मेल : complianceofficer@iifclmf.com
सीआईएन : U65991DL2012GOI233601

इस वार्षिक आम सभा में नियुक्त किए जाने के लिए प्रस्तावित निदेशकों के संक्षिप्त विवरण

नाम	श्री संदीप अग्रवाल
निदेशक पहचान संख्या	08553176
जन्म तिथि एवं आयु	1 दिसंबर, 1963 (55 वर्ष)
नियुक्ति तिथि	5 सितम्बर, 2019
शैक्षणिक योग्यता	बी.एससी. (ऑनर्स), एम.ए. (राजनीति शास्त्र) पी.जी.डी.एफ.एम., एम.बी.ए. (एफ.एम.एस दिल्ली विश्वविद्यालय)
विशेषज्ञता के क्षेत्र	विभिन्न वित्तीय क्षेत्र
अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में कार्य	शून्य
अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य
आईआईएफसीएल असेट मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में धारित शेयरों की संख्या	शून्य

निदेशक की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यो,

हर्ष की बात है कि आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के निदेशकों द्वारा आपकी कंपनी के कार्यों और संचलन संबंधी रिपोर्ट और 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ वैधानिक लेखापरीक्षकों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

वित्तीय परिणामों की झलकियां

कंपनी के 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के वित्तीय परिणाम इस प्रकार हैं :

(रू. लाख में)

विवरण	**31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि**	**31 मार्च 2018 को समाप्त अवधि**
कुल राजस्व	829.95	848.45
कुल व्यय	382.20	414.70
परिचालनिक लाभ	447.74	433.74
विशेष वस्तुएं	-	-
कर से पूर्व लाभ	**447.74**	**433.74**
कर व्यय	108.14	147.37
वर्ष के लिए लाभ	**339.60**	**286.37**
प्रति इक्विटी शेयर से आय (प्रत्येक रु.10.00/– अंकित मूल्य के लिए) (रू में)	**2.72**	**2.29**

आलोच्य वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी शुद्ध राजस्व 433.74 लाख रु. से बढ़कर 447.74 लाख रु. तथा कर के बाद शुद्ध लाभ 286.37 लाख रु. से बढ़कर 339.60 करोड़ रु. हुआ है।

साथ ही 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लेकर इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई मूलभूत बदलाव और प्रतिबद्धताएं उत्पन्न नहीं हुईं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करें। 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी का शुद्ध राजस्व 2251.26 लाख रू. हो गये हैं जबकि 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष में यह 1915.84 लाख रू. था।

लाभांश

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

आरक्षित निधि

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए 335.41 लाख रू. को आरक्षित और अधिशेष में स्थानांतरित कर दिया है।

अवसंरचना ऋण निधि

इंडिया इन्फ्रास्टंक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.) ने सेबी द्वारा विनियमित म्युच्युअल फंड रूट चुना था और आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में मार्च, 2012 में इसमें शामिल किया था ताकि आई.आई.एफ.सी.एल. म्युचुअल फंड (आईडीएफ) को जनवरी, 2013 में पंजीकृत किया गया था।
आई.आई.एफ.सी.एल. म्युचुअल फंड (आईडीएफ) भारत में अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ) क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निबाहने वालों में से एक है। 31 मार्च 2019 को निधि के प्रबंधन के तहत परिसम्पत्ति की मात्रा श्रृंखला I और श्रृंखला II दोनो को मिलाकर क्रमशः 393.73 और 165.57 करोड रु. है, जबकि इसकी तुलना में 31 मार्च 2018 को यह मात्रा क्रमशः 437.49 तथा 212.78 करोड रु. थी। योजनाओं के एयूएम में कमी एनपीए के लिए प्रावधान के कारण है। हालांकि आई.आई.एफ.सी.एल. म्युच्युअल फंड (आईडीएफ) की कुल (AUM) 31 मार्च 2019 को श्रृंखला I और श्रृंखला II दोनो को मिलाकर 559.30 करोड़ थी।

आई.आई.एफ.सी.एल. म्युचुअल फंड अवसंरचना ऋण निधि सीरिज–1

''आई.आई.एफ.सी.एल. म्युचुअल फंड अवसंरचना ऋण निधि सीरिज–1'' की पहली स्कीम की शुरूआत 01 दिसंबर 2013 को 'प्राइवेट प्लेसमेंट' के अंतर्गत की गई थी तथा 6 फरवरी 2014 को सफलतापूर्वक बंद घोषित की गई थी। इस स्कीम को दी डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसियों द्वारा ''AAAidf-mf '' की वृद्धि के विकल्प और दर के तहत स्कीम को बंद किया गया था। इस स्कीम को देश की पहली आईडीएफ म्युचुअल फंड का दर्जा हासिल हुआ और इसे बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध किया गया था। 30 जून, 2019 को स्कीम की एन ए वी ₹13,293.8677 थी। (म्युच्युअल फंड यूनिट का अंकित मूल्य रूपये 10,00,000/– है)। योजना के एनएवी प्रति यूनिट में कमी एनपीए के लिए प्रावधान के कारण है।

आई.आई.एफ.सी.एल. म्युचुअल फंड अवसंरचना ऋण निधि सीरिज–2

आई.आई.एफ.सी.एल. म्युचुअल फंड (आईडीएफ) ने अपनी दूसरी आईडीएफ सीरिज अर्थात् आई.आई.एफ.सी.एल. म्युचुअल फंड आईडीएफ सीरिज–2 (दो डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसियों द्वारा ''AAAidf-mf '' रेटिंग तय की गई) को सफल शुरूआत की जिसमें 200 करोड रू. की भारी राशि शामिल थी और इसके लिए छह संस्थागत निवेशकों ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी। स्कीम को 12 अप्रैल 2017 को बंद किया गया तथा 18 अप्रैल 2017 को इसे बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध किया गया था। 30 जून 2019 के स्कीम की एन ए वी ₹ 8,44,389.8383 थी। (म्युच्युअल फंड यूनिट का अंकित मूल्य रूपये 10,00,000/– है)। योजना के एनएवी प्रति यूनिट में कमी एनपीए के लिए प्रावधान के कारण है।

सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) द्वारा अनुमोदित आई.आई.एफ.सी.एल. म्युचुअल फंड (आईडीएफ) के बोर्ड ऑफ टंस्टी का विवरण इस प्रकार है :

नाम	पदनाम
श्री पी. आर. जयशंकर	अध्यक्ष
श्री ए. के. देव	स्वतंत्र न्यासी
श्री जे. एम. सिंह	स्वतंत्र न्यासी (1 अगस्त, 2018 से स्वतंत्र ट्रस्टी के रूप में सीज)
श्री ईश्वर सिंह	स्वतंत्र न्यासी (1 जून, 2019 से स्वतंत्र ट्रस्टी के रूप में सीज)
श्री रजनीश कर्नाटक	स्वतंत्र न्यासी (19 सितम्बर, 2018 से स्वतंत्र ट्रस्टी के रूप में नियुक्त)
श्री राजीव रावत	स्वतंत्र न्यासी (19 सितम्बर, 2018 से स्वतंत्र ट्रस्टी के रूप में नियुक्त)
श्री ए. के. मिश्रा	स्वतंत्र न्यासी (26 जुलाई, 2019 से स्वतंत्र ट्रस्टी के रूप में नियुक्त)

निदेशक मंडल

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल का गठन इस प्रकार था।

नाम और पदनाम	श्रेणी	नियुक्ति की तारीख
श्री पंकज जैन*	अध्यक्ष	18 जनवरी, 2018
श्री अनिल कुमार तनेजा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	25 अगस्त, 2017
श्री दीपक कुमार चटर्जी*1	निदेशक	26 जून, 2014
डॉ. एम. एन. शर्मा*2	स्वतंत्र निदेशक	25 अक्टूबर, 2017
डॉ. पवन सिंह*3	स्वतंत्र निदेशक	14 अगस्त, 2012
श्री सुधीर आर्य*4	स्वतंत्र निदेशक	30 जून, 2016
श्री संदीप अग्रवाल	स्वतंत्र निदेशक	5 सितम्बर 2019

*1 16 जून, 2018 से निदेशक के रूप में सीज।
*2 1 जून, 2018 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में सीज।
*3 1 अप्रैल, 2019 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में सीज।
*4 29 जुलाई, 2019 को स्वतंत्र निदेशक के पद से त्यागपत्र दिया। अतः 30 जुलाई, 2019 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में सीज।

निदेशकों, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति (केएमपी) एवं कर्मचारियों के विवरण

निदेशक मंडल में श्री पंकज जैन, अध्यक्ष, श्री अनिल कुमार तनेजा मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य निदेशक जिनमें 31 मार्च, 2019 को दो स्वतंत्र निदेशक शामिल है क्रमशः डॉ. पवन सिंह और श्री सुधीर आर्य शामिल हैं। सभी स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(7) के अनुपालन में एक शपथपत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें घोषणा की गई है कि जैसा ऊपर उल्लिखित है, वे अधिनियम की धारा 149 (6) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदण्ड को पूरा करते हैं।

कंपनी में छः कर्मचारी हैं और वर्ष के दौरान कर्मचारियों के संबंध शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे हैं।

इस अवधि के दौरान बोर्ड की बैठकें

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की छह बैठकें 20 अप्रैल 2018, 26 जून 2018, 8 अगस्त 2018, 30 अक्टूबर 2018, 28 दिसम्बर 2018, 27 फरवरी 2018 को आयोजित हुई।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान प्रत्येक निदेशक द्वारा बोर्ड की बैठकों के भाग लेने संबंधी विवरण इस प्रकार है :

निदेशक का नाम	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री पंकज जैन	6
श्री अनिल कुमार तनेजा	6
श्री दीपक कुमार चटर्जी	1
श्री एम. एन. शर्मा	1
डॉ. पवन सिंह	6
श्री सुधीर आर्य	5

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति

आपकी कंपनी की लेखापरीक्षा समिति कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत गठित की गई है, जिसमें अधिनियम के प्रावधानों में निर्धारित शक्तियों के द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है तथा उक्त शक्तियों का उपयोग किया जाता है।

आगे लेखापरीक्षा समिति दिनांक 24 जुलाई, 2018 को फिर से पुर्नगठित की गई जिसमें श्री अनिल कुमार तनेजा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को श्री दीपक कुमार चटर्जी के स्थान पर सदस्य नियुक्त किया गया।

वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति के गठन की स्थिति इस प्रकार थी :

निदेशक का नाम	पदनाम
श्री दीपक कुमार चटर्जी*	गैर कार्यकारी निदेशक
श्री अनिल कुमार तनेजा**	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री सुधीर आर्य****	स्वतंत्र निदेशक
डॉ. पवन सिंह***	स्वतंत्र निदेशक

* 16 जून, 2018 से निदेशक के रूप में स्थगित हो गए हैं।
** 24 जुलाई, 2018 को लेखापरीक्षा समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त।
*** 1 अप्रैल, 2019 से निदेशक के रूप में स्थगित हो गए हैं।
****29 जुलाई, 2019 को स्वतंत्र निदेशक के पद से त्यागपत्र दिया। अतः 30 जुलाई, 2019 से निदेशक के

आगे लेखापरीक्षा समिति दिनांक 18 अप्रैल, 2019 को फिर से पुर्नगठित की गई जिसमें श्री पंकज जैन, अध्यक्ष को डॉ. पवन सिंह के स्थान पर सदस्य नियुक्त किया गया।
वर्ष के दौरान, बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में लेखापरीक्षा समिति की चार बार यथा 20 अप्रैल 2018, 8 अगस्त 2018, 30 अक्टूबर 2018 तथा 27 फरवरी 2019 को बैठकें आयोजित हुई।
इस अवधि के दौरान प्रत्येक सदस्य द्वारा कितनी बैठकों में भाग लिया गया, इसका विवरण इस प्रकार है।

निदेशक का नाम	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री दीपक चटर्जी*	1
डॉ. पवन सिंह***	4
श्री सुधीर आर्य****	4
श्री अनिल कुमार तनेर्जा**	3

हालांकि 1 अप्रैल, 2019 से स्वतंत्र निदेशक लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के संबंध में आईएएमसीएल कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार नहीं है।

नामन और परिश्रमिक समिति
इस समिति की बैठकें आवश्यकता पड़ने पर ही आयोजित की जाती है जब कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कार्य करने अपेक्षित हों। जहां नामन और परिश्रमिक समिति (एनआरसी) के आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं।

दिनांक 8 अगस्त, 2018 को नामन और परिश्रमिक समिति का पुर्नगठन किया गया था। जिसकी वर्तमान में रूपरेखा इस प्रकार है।

नाम	पदनाम
श्री पंकज जैन*	अध्यक्ष
श्री अनिल कुमार तनेजा	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री सुधीर आर्य***	स्वतंत्र निदेशक
डॉ. पवन सिंह**	स्वतंत्र निदेशक

* 8 अगस्त, 2018 को नामन और परिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त।
** 1 अप्रैल, 2019 से निदेशक के रूप में समाप्त हो गये हैं।
*** 29 जुलाई, 2019 को स्वतंत्र निदेशक के पद से त्यागपत्र दिया। अतः 30 जुलाई, 2019 से निदेशक के रूप में सीज।

एनआरसी की बैठक वर्ष के दौरान दो बार क्रमशः दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 तथा 27 फरवरी, 2019 को हुई। एनआरसी की बैठकें केवल तभी आयोजित की जानी चाहिए जब कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 में निर्धारित किया गया था।
इस अवधि के दौरान प्रत्येक सदस्य द्वारा कितनी बैठकों में भाग लिया गया, इसका विवरण इस प्रकार है।

निदेशक का नाम	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री पंकज जैन	2
श्री अनिल कुमार तनेजा	2
श्री पवन सिंह	2
श्री सुधीर आर्य	2

जमा राशियां

वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 जिसे कंपनी (जमा राशियों की स्वीकृति नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाता है) के अंतर्गत कंपनी ने कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं।

ऊर्जा का संरक्षण और प्रौद्योगिकी का अपनाना

कंपनी एसेट मैनेजमेंट का कार्य करती है विनिर्माण का नहीं, अतः ऊर्जा संरक्षण के संबंध में विवरणों का खुलासा करना इस पर लागू नहीं होता। तथापि, कार्यालय में ऊर्जा का संरक्षण के लिए ऊर्जा की बचत के लिए उचित उपाय करने के प्रयास किए जाते हैं। कंपनी के कार्यों में किसी प्रौद्योगिकी का समाहन शामिल नहीं है।

विदेशी मुद्रा विनियम और व्यय

वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा विनियम/व्यय नहीं हुआ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी ने पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे हुए हैं निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति प्रबंधन, आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवधिक समीक्षा करती है तथा आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों और उनकी अनुवर्ती कार्यवाई की समीक्षा भी करती है। आलोच्य वर्ष के दौरान, उक्त नियंत्रणों की समीक्षा की गई और हमारे वैधनिक लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए अध्ययन के माध्यम से जांच की गई और उसकी टिप्पणियों को निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल किया गया था।

परिचालन के डिजाइन में कोई रिपोर्ट करने योग्य सामग्री की कमजोरी नहीं थी और रिपोर्ट में कहा गया था कि आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2019 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे।

कंपनी को अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

जैसा कि कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्धारित अपेक्षाएं पूरी नहीं की जातीं, कंपनी के लिए कॉरपोरेट सोशल रेस्पांसबिलिटी तैयार करना ओर सीएसआर नीति का अपनाना अपेक्षित नहीं है।

संबंधित पक्ष का लेनदेन

वित्तीय वर्ष के दौरान हुए समस्त संबद्ध पार्टी लेनदेन नजदीकी आधार पर थे और सामान्य कार्य के लिए थे। कंपनी द्वारा उपकारी महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिकों अथवा अन्य नामित व्यक्तियों के साथ किए गए लेनदेन पार्टी लेनदेन से संबंधित कुल मिलाकर महत्वपूर्ण नहीं थे। जिनमें काफी हद तक कंपनी के हित में पर्याप्त विवाद हो सकते हैं। ऐसे पार्टी संबद्ध लेनदेन के विवरण इस रिपोर्ट में फॉर्म एओसी–2 के प्रारूप में अनुलग्नक–1 में दिए गए हैं:

क्र.सं.	पक्षों के विवरण	सम्बन्ध	लेनदेन की प्रकृति	राशि (₹)	
				2018-19	2017-18
	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमि. (आईआईएफसीएल)	धारक कंपनी	किराया	83,14,824	84,98,787
			आईआईएफसीएल को देय राशि (किराये और निदेशक के पारिश्रमिक के लिए)	18,88,210	43,135
			निदेशक एवं सीईओ का पारिश्रमिक	68,59,997	43,85,552
			कार्यालय एवं प्रशासन संबंध व्यय	10,50,080	17,32,497

ऋण, जमानत अथवा निवेश के विवरण अथवा निवेश के विवरण

जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत उल्लिखित है, कंपनी ने आलोच्य वित्तीय वर्ष में ऋण, गारंटी अथवा निवेश के संबंध में कोई संविदा, करार अथवा व्यवस्था नहीं की है।

सूचना का अधिकार अनिनियम, 2005

आलोच्य वर्ष के दौरान, सूचना का अधिकार नियम, 2005 के अंतर्गत कंपनी को कोई आवेदन नहीं मिले थे।

राजभाषा

वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए साथ ही राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया गया ।

वार्षिक विवरणी का सार

जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुपालन में अपेक्षित है एमजीटी 9 में वार्षिक रिटर्न का सार इस वार्षिक रिपोर्ट का **अनुलग्नक–2** का भाग है।

वैधनिक लेखापरीक्षक

मैसर्स राजेश कृष्ण खन्ना एंड एसोसिएट्स (डीई 1116), चार्टर्ड अकाउंटेंट को आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वैधानिक लेखापरीक्षा नियुक्त किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्ट

वैधानिक लेखापरीक्षकों ने कंपनी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आलोच्य वर्ष के दौरान कंपनी के विरूद्ध किसी धोखाघड़ी जिसमें कोई अपराध शामिल हो, की कोई रिपोर्ट नहीं की है।

वार्षिक लेखा–जोखा पर वैधानिक लेखापरीक्षकों/भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उल्लिखित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट हैं और उन पर किन्हीं और टिप्पणियां की आवश्यकता नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धरा 143 (6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शून्य टिप्पणियां इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–3 के रूप में संलग्न हैं।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी के रिस्क विजन स्टेटमेंट में इंटीग्रेटिड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के लिए एक हॉलिस्टिक चार्टर और प्रोफाइल रखना शामिल है जिससे बिजनेस वैल्यू चेन में जोखिम कम करने के आई.ए.एम.सी.एल. के लक्ष्य को और बैलेंस शीट को सुदृढ़ बनाकर स्टेकहोल्डर्स में विश्वास पैदा करने में मदद मिलेगी। कंपनी द्वारा विभिन्न प्रभावी जोखिमों को दूर करने का कार्य किया गया हैं कंपनी ने रिस्क गर्वनेंस स्टंक्चर को मजबूत किया है और वह लगातार अपनी रिस्क प्रोसेस तथा उद्योग जगत की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं के अनुरूप अपनी कार्यप्रक्रियाओं को अद्यतन किया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत खुलासा

कंपनी एक समान रोजगार का अवार देने वाली कंपनी है और इसका विश्वास है कि कंपनी के सभी कर्मचारियों को सम्मान पाने का अधिकार है। कार्यस्थल पर कार्यस्थल के अलावा अन्य स्थान पर, यदि उसके कर्मचारियों की भागीदारी है, यौन उत्पीड़न एक गंभीर अपराध है, अतः यह दण्डनीय है। तथापि कंपनी के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति गठित करना अपेक्षित नहीं है क्योंकि कंपनी में केवल छ' कर्मचारी हैं, किन्तु इस तथ्य के बावजूद कंपनी एक स्वस्थ कार्य वातावरण बनाने के लिए प्रतिबंध है ताकि कर्मचारी किसी पूर्वाग्रह के बिना लिंग संबंधी पक्षपात और यौन उत्पीड़न के डर के बिना काम कर सकें।

निदेशक की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में अपेक्षित है, आपकी कंपनी के निदेशक एतद् द्वारा पुष्टि करते हैं कि :

(क) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करने के लिए लागू लेखाकरण मानक अपनाने के साथ सामग्री के प्रस्थान संबंधी समुचित स्पष्टीकरण दिया गया था।

(ख) निदेशकों द्वारा उक्त लेखाकरण नीतियों के चुना था और उन्हें सतत् तौर पर लागू किया गया था तथा निर्णय लिए गए थे और जो अनुमान लगाए गए थे वे पर्याप्त और विवेकपूर्ण थे ताकि 31, मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी के क्रिया–कलापों की एक सत्य और सही स्थिति प्रस्तुत की जा सके। और उक्त अवधि में कंपनी के लाभ और हानि के विवरण दर्शाए जा सके।

(ग) निदेशकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप लेखा रिकार्डों का समुचित रख–रखाव करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया गया ताकि कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा की जा सके और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके और उनका पता लगाया जा सके।

(घ) निदेशकों द्वारा चल रहे मामलों के आधार पर वार्षिक लेखा–जोखा तैयार किया था।

(ड.) निदेशकों द्वारा समस्त लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम तैयार किया गया था और उक्त सिस्टम पर्याप्त थे तथा प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

आभार

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल केंद्र सरकार, विशेषकर वित्त मंत्रालय, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, (ए.एम.एफ.आई.) बैंकों, वित्तिय संस्थानों, बीमा कंपनियों का धन्यवाद करता है जो देश में इन्फ्रास्टंक्चर डेब्ट फंड (आईडीएफ) उपलब्ध कराने के लिए अग्रणी उपाय उपलब्ध कराता है। बोर्ड, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बहुमूल्य मार्गदर्शन और परामर्श के लिए भी आभारी है।

हम अथक प्रयासों और अंशदान के लिए कंपनी के कर्मचारियों की सराहना करते हैं तथा आईआईएफसीएल म्युचुअल फंड (आईडीएफ) के न्यासी बोर्ड के गंभीर प्रयासों की सराहना भी करते हैं, जिनके मार्गदर्शन और बहुमूल्य दिशानिर्देश हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेंगे।

निदेशक मंडल के अदेशानुसार
कृते आई .आई .एफ.सी.एल.एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

(पंकज जैन)
अध्यक्ष
डी.आई.एन. : 00675922

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितम्बर, 2019

अनुलग्नक–1

फॉर्म संख्या ए.ओ.सी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) की शर्त (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी द्वारा संबंध पार्टियों, जिनका उल्लेख कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में किया गया है, के साथ की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरणों के खुलासे के लिए फार्म सहित इसके सिवा अन्य नियमों के अंतर्गत भुजाओं की लंबाई जितनी प्रक्रिया।

1. उन सविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा उन सविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन–देन के विवरण, जो भुजाओं की लंबाई जितने आधारित नहीं थे : लागु नहीं

(क) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति : लागु नहीं

(ख) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन की प्रकृति : लागु नहीं

(ग) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन की अवधि : लागु नहीं

(घ) संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन–देन की प्रमुख शर्तों सहित उनकी वैल्यू, यदि कोई हो : लागु नहीं

(ड.) उक्त संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन का औचित्य : लागु नहीं

(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदक की तारीखें : लागु नहीं

(छ) अग्रिम, यदि कोई हो, के रूप में अदा की गई राशि : लागु नहीं

(ज) धारा 188 के प्रथम नियम के अंतर्गत अपेक्षित, आम सभा में पारित विशेष संकल्प की तारीख : लागु नहीं

2. सामग्री संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा भुजाओं की लंबाई जितने आधार पर टांजेक्शन के विवरण :

(क) संबंधित पार्टी का नाम और संबंधों की प्रकृति : होल्डिंग कंपनी, इंडिया इंफ्रास्टंक्चर फाइनेशियल कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

(ख) संविदाओं/ व्यवस्थाओं/ लेन–देन की प्रकृति : खर्चों की प्रतिपूर्ति।

(ग) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन–देन की अवधि : 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019।

(घ) संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा लेन–देन की प्रमुख शर्तों सहित उनकी वैल्यू, यदि कोई हो : लागु नहीं

(ड.) बोर्ड के अनुमोदन की तारीखें, यदि कोई हों : 30 अक्टूबर 2018 एवं 26 अप्रैल 2019।

(च) अग्रिम, यदि कोई हो, के रूप में अदा की गई राशि : नहीं

निदेशक मंडल के अदेशानुसार
कृते आई .आई .एफ.सी.एल.एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

(पंकज जैन)
अध्यक्ष
डी.आई.एन. : 00675922

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितम्बर, 2019

अनुलग्नक–2

फॉर्म संख्या एमजीटी– 9
वार्षिक विवरणी का सार

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार)

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

i) सीआईएन : U65991DL2012GOI233601

ii) पंजीकरण की तारीख : 28 मार्च, 2012

iii) कंपनी का नाम : आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

iv) कपंनी की श्रेणी / उपश्रेणी : सरकारी कम्पनी

v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण : पाँचवां तल, प्लेट–ए, एनबीसीसी ऑवर ब्लॉक–02, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023, फोन : 011–24665900

ई–मेल : complianceofficer@iifclmf.com

vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है, : नहीं

vii) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो : लागू नहीं

II. कंपनी की प्रमुख बिजनेस गतिविधियां :

कंपनी के कुल टर्नओवर के 10% अथवा अधिक अंशदान करने वाली समस्त बिजनेस गतिविधियों में निम्नलिखित को दर्शाया जाएगा :

मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड*	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
फंड प्रबंधन गतिविधियाँ (एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आई.आई.एफ. सी.एल. म्यूचुअल फंड (आई.डी.एफ) से	**66301**	100%

*राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2008 (एनआईसी–2008) के अनुसार – सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

III. होल्डिंग, सहायक और संबद्ध कंपनियों के विवरण:

क्रं सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन / जीएलएन	होल्डिंग / सहायक सम्बद्ध	शेयरों का %	लागू धारा
1.	इंडिया इंफ्रास्टंक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, 5वां तल, प्लेट–ए, एनबीसीसी टॉवर, ब्लॉक–02, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023	U67190DL2006GOI144520	होल्डिंग कंपनी	100%	2(46)

IV. शेयर होल्डिंग पद्धति (इक्विटी शेयर केपिटल का कुल इक्विटी का % के रूप में विवरण)

i) श्रेणीवार शेयर धारण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
(क) उपकारी	डी मैट	वास्तविक	कुल	% कुल शेयर का	डी मैट	वास्तविक	कुल	% कुल शेयर का	
1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	0	6	6	0.000048	0	6	6	0.000048	0%
ख) केन्द्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ग) राज्य सरकार (रें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
घ) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ड.) बैंक/वित्तीय संगठन	0	12499994	12499994	99.99	0	12499994	12499994	99.99	0%
च) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
कुल योग (क) (1) :	0	12500000	12500000	100	0	12500000	12500000	100	0%
2) विदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
क) एनआरआई–व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ख) अन्य–व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ग) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
घ) बैंक/वित्तीय संगठन	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ड.) अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
कुल योग (क) (2) :	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
प्रमोटर्स की कुल शेयर होल्डिंग (क) = (क) (1) + (क) (2)	0	12500000	12500000	100	0	12500000	12500000	100	0%

ख. पब्लिक शेयर होल्डिंग

1. बीमा :	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
क) म्युचअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ख) बैंक/वित्तीय संगठन	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ग) केन्द्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
घ) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ड.) वेंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
च) बीमा कंपनियां	0	0	0	0	0	0	0	0	
छ) एफ.आई.आई.एस.	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ज) विदेशी जोखिम पूंजी निधियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
झ) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
कुल जोड़ (ख) (1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2. गैर संस्थागत	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
क) निगमित निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
i) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ii) विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
i) व्यक्तिगत शेयरधारक जो 1 लाख रु.तक की न्यूनतम शेयरपूंजी रखते हैं	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

ii) व्यक्तिगत शेयरधारक जो 1 लाख रु. से अधिक की शेयरपूंजी रखते हैं	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ख) व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ग) अन्य (उल्लेख करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
कुल योग (ख) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
कुल पब्लिक शेयर होल्डिंग (ख)=(ख) (1)+(ख)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ग. जी.डी.आ.र एवं ए.डी.आर के लिए संरक्षक द्वारा धारित शेयर पूंजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
कुल जोड़ (क+ख+ग)	0	12500000	12500000	100	0	12500000	12500000	100	0%

ii) प्रमोटर्स की शेयरधारिता :

क्र.सं.	शेयर धारकों का नाम	वर्ष के आरंभ में रखे शेयरधारिता की संख्या			वर्ष के अंत में रखे शेयरधारिता की संख्या			वर्ष के दौरान रखे गये शेयरों में प्रतिशत परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से ऋणग्रस्त /गिरवी रखे शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से ऋणग्रस्त /गिरवी रखे शेयरों का %	
1.	इंडिया इंफ्रास्टंक्चर फाइनेंस कंपनी लिमि.(आई.आई.एफ.सी.एल.)	12499994	99.99	0	12499994	99.99	0	0%
2.	श्री राजीव मुखीजा*	1	0.000008	0	1	0.000008	0	0%
3.	डॉ ई. एस. राव*	1	0.000008	0	0	0	0	0%
4.	श्री राकेश कुमार*	1	0.000008	0	1	0.000008	0	0%
5.	श्री एस. बी. नायर*	1	0.000008	0	0	0	0	0%
6.	श्री पी. आर. जयशंकर*	1	0.000008	0	1	0.000008	0	0%
7.	श्री कृष्ण श्रीपेरम्बुदुर श्रीनिवासन*	1	0.000008	0	1	0.000008	0	0%
8.	श्री अनिल कुमार तनेजा*	0	0	0	1	0.000008	0	0%
9.	श्री संजीव कौशिक*	0	0	0	1	0.000008	0	0%
	कुल	12500000	0	0	12500000	100	0	0%

*उपर्युक्त सभी व्यक्तिगत शेयरधारक भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.) की ओर से नामिती के रूप में शेयर धारण कर रहे हैं।

iii) प्रमोटर्स के शेयरों में बदलाव (यदि कोई बदलाव न हो तो कृपया उल्लेख करें)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष के आरंभ में रखे शेयरों की संख्या		वर्ष के दौरान संचित शेयरों की संख्या	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	**वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुए**			
2.	वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी एवं इसके कारण (अर्थात् आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)	**वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुए**			
3.	वर्ष के अंत में	**वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुए**			

iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयर रखने की पद्धति (निदेशकों, प्रमोटर्स और जीडीआर तथा एडीआर होल्डर्स के अलावा)

क्र.सं.	प्रत्येक शीर्ष दस शेयरधारकों	वर्ष के आरंभ में रखे शेयरों की संख्या		वर्ष के दौरान संचित शेयरों की संख्या	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	वर्ष के आरंभ में	लागु नहीं		लागु नहीं	
2.	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी एवं इसके कारण (अर्थात् आबंटन/स्थानांतरण/बोनस/उद्यम इक्विटी आदि)	लागु नहीं		लागु नहीं	
3.	वर्ष के अंत में (या अलग होने की तारीख पर, अगर वर्ष के दौरान अलग हुए हैं तो)	लागु नहीं		लागु नहीं	

v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों के पास रखे शेयर

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधन अधिकारी के पास रखे शेयर	वर्ष के आरंभ में रखे शेयरों की संख्या		वर्ष के दौरान संचित शेयरों की संख्या	
	शेयरधारक निदेशक	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	अनिल कुमार तनेजा वर्ष के आरंभ में	1	0.000008	1	0.000008
	वर्ष के अंत में	1	0.000008	1	0.000008
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी	(नीचे लिखे नोट को देखें)			
2.	पंकज जैन वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
	वर्ष के अंत में	0	0	0	0
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी	(नीचे लिखे नोट को देखें)			
3.	वर्ष के आरंभ में	0	0	1	0.000008
	वर्ष के अंत में	0	0	1	0.000008
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी	(नीचे लिखे नोट को देखें)			
4.	वर्ष के आरंभ में	0	0	1	0.000008
	वर्ष के अंत में	0	0	1	0.000008
	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी	(नीचे लिखे नोट को देखें)			

नोटः श्री अनिल कुमार तनेजा के पास भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.) के नामांकित व्यक्ति की क्षमता के अनुसार शेयर है।

(V) ऋण की स्थिति

कंपनी की ऋण लिए जाने सहित बकाया/उत्पन्न ब्याज किंतु जिसका भुगतान न देय हो की स्थिति

(रू. में)

पारिश्रमिक	डिपाजिट को छोड़कर सिक्योर ऋण	अनसिक्योर ऋण	डिपाजिट	कुल ऋण की स्थिति
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणें की स्थिति i) मूलधन ii) देय ब्याज किंतु अदा नहीं हुआ iii) उत्पन्न ब्याज किंतु देय नहीं	0	0	0	0
कुल (i+ ii+ iii)	0	0	0	0
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणों की स्थिति में बदलाव • जोड़ • कमी	0	0	0	0
शुद्ध बदलाव	0	0	0	0
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणों की स्थिति i) मूलधन ii) देय ब्याज किंतु अदा नहीं हुआ iii) उत्पन्न ब्याज किंतु देय नहीं	0	0	0	0
कुल (i+ ii+ iii)	0	0	0	0

(VI) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों का पारिश्रमिक :

क . प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक :–

(रू. में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/डब्ल्यू.टी.डी./प्रबंधक का नाम	कुल राशि
		श्री अनिल कुमार तनेजा**	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	–	–
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अतिरिक्त पारिश्रमिक का मूल्य	–	–
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	शून्य	शून्य
2.	स्टॉक विकल्प		
3.	स्वेट इक्विटी	–	–
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य, उल्लेख करें	–	–
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	–	–
6.	कुल (क)	–	–
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग	कंपनीज़ एक्ट 2013 का अनुच्छेंद 197 और अनुसूची अ सरकारी कंपनी पर लागू नही होते है।	

*श्री अनिल कुमार तनेजा, निदेशक एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी के परिश्रमिक का खुलासा किया गया है।
"प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/ डब्ल्यू.टी.डी. के अतिरिक्त प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का पारिश्रमिक शीर्ष के अंतर्गत किया गया है, क्योंकि वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे थे।

ख. अन्य निदेशको को पारिश्रमिक

(रू. में)

क्र. स.	पारिश्रमिक के विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि
		श्री पवन सिंह#1	श्री सुधीर आर्य#2	श्री एम.एन शर्मा#3	श्री दीपक कुमार चटर्जी#4	श्री पंकज जैन#5	
1.	स्वतंत्र निर्देशक –बोर्ड की समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए –कमीशन –अन्य कृपया बताएं	80,000 – –	1,40,000 – –	20,000 – –	–	–	2,40,000
	कुल (1)	80,000	1,4,000	20,000	–	–	2,40,000
2.	गैर एग्जेक्युटिव डायरेक्टर्स के अतिरिक्त –बोर्ड की समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क –कमीशन –अन्य कृपया बताएं	–	–	–	–	–	–
	कुल (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (B) = (1+2)	80,000	1,40,000	20,000	शून्य	शून्य	2,40,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	80,000	1,40,000	20,000	शून्य	शून्य	2,40,000
	कानून के अनुसार समग्र सीलिंग	कानून द्वारा बताए गए ढंग से पारिश्रमिक सीमा के अंदर है।					

#1 1 अप्रैल 2019 से स्वतंत्र निदेशक के पद की समाप्ति।
#2 30 जुलाई 2019 से स्वतंत्र निदेशक के पद की समाप्ति।
#3 1 जून 2018 से स्वतंत्र निदेशक के पद की समाप्ति।
#4 16 जून 2018 को निदेशक पद की समाप्ति।
#5 18 जनवरी 2018 को अध्यक्ष एवं निदेशक पद पर नियुक्त।

ग. प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारियों, प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा, के लिए पारिश्रमिक:

(रू. में)

क्र.स.	पारिश्रमिक के विवरण	प्रमुख प्रबंधकीये अधिकारी			कुल
		मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनिल कुमार तनेजा	**कंपनी सचिव** श्री अजय पाल सिंह सैनी	**मुख्य वित्त अधिकारी** श्री सुमिरन बंसल	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतनं	68,59,997	44,49,720	32,55,194	1,45,64,911
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अतिरिक्त पारिश्रमिक का मूल्य	–	–	–	–
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	–	–	–	–
2.	स्टॉक विकल्प	–	–	–	–
3.	स्वेट इक्विटी	–	–	–	–
4.	कमीशन – लाभ के % के रूप में – अन्य	–	–	–	–
5.	अन्य	–	–	–	–
	कुल	68,59,997	44,49,720	32,55,194	1,45,64,911

VII. अपराधों के लिए जुर्माने/दण्ड/प्रशमन :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	आरोपित जुर्माना /दण्ड/प्रशमन शुल्क के विवरण	प्राधिकरण (आ.र.डी/ एन.सी.एल.टी/ न्यायालय)	की गई अपील यदि कोई हो, (विवरण दें)
(क) कंपनी					
जुर्माना	शून्य				
दण्ड					
प्रशमन					
(ख) निदेशक					
जुर्माना	शून्य				
दण्ड					
प्रशमन					
(ग) अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना	शून्य				
दण्ड					
प्रशमन					

अनुलग्नक – बी

31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन रूपरेखा के अनुरूप 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम के अनुच्छेद 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुकत सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम के अनुच्छेद 143(10) के तहत निर्धारित अंकेक्षण पर मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षण पर आधारित अधिनियम के अनुच्छेद 143 के तहत वित्तीय वक्तव्यों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह 26 अप्रैल 2019 दिनांकित उनके संशोधित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन द्वारा किया जाना बताता है।

आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रबंधन के अधीन आने वाली परिसंपत्तियां तुलन पत्र में परिलक्षित नहीं हैं, क्योंकि ये परिसंपत्तियां आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के किसी हिस्से को निर्मित नहीं करती हैं। इसलिए, मेंने इस योजनाओं के संचालन की गहराई में जाकर नहीं देखा है जिसमें आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण, प्रबंधन और प्रबंधित संपत्ति के निपटान से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल है और मेरे द्वारा निवेशों की प्रभाविता पर कोई राय व्यक्त नहीं की जा रही है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, मैंने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के तहत एक अनुपूरक लेखा परीक्षा आयोजित की है। ऑडिट को वैधानिक लेखा परीक्षक के काम के कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से वैधानिक ऑडिटर और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और लेखांकन रिकॉर्डों में से कुछ की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है। मेरे ऑडिट के आधार पर मेरे ज्ञान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है, जो वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए टिप्पणी या पूरक के लिए वृद्धि होगी।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और उनकी ओर से

(रीना अकोईजम)
प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक और
पूर्व पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा बोर्ड – III
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 8 अगस्त, 2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की प्रतिवेदन

आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली , नई दिल्ली
के सदस्य के लिए

यह संशोधित रिपोर्ट हमारी पूर्ववर्ती ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 26 अप्रैल 2019 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी. एण्ड ए.जी.) के अधिदेश में जारी की गई है ताकि इसे और अधिक स्पष्ट बनाया जा सके। इसके अलावा, हम पुष्टि करते हैं कि वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं है जैसा कि हमारी पहले की रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है।

वित्तिय विवरणों की रिपोर्ट

हमने आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न वित्तीय विवरणों के साथ 31 मार्च, 2019 के तुलन पत्र की लेखापरीक्षा की है, इसके अलावा वर्ष के अंत में लाभ एवं हानि के विवरणों तथा नगदी प्रवाह के विवरणों और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों तथा अन्य स्पष्टीकरण देने वाली जानकारी की लेखापरीक्षा भी की है।

वित्तिय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन वित्तिय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हैं जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और कंपनी के नगदी प्रवाह की भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं, इसमें अधिनियम की धारा 133, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है, के अंतर्गत उल्लिखित लेखाकरण मानक शामिल होते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखाकरण मानकों का रखरखाव भी शामिल होता है तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम तथा उनका पता लगाने, समुचित लेखाकरण नीतियों का चयन और उनका क्रियान्वयन, निर्णय लेने और प्राक्कलन तैयार करने, जो तर्कसंगत और विवेकी तथा अभिकल्पित अनुसार होते हैं, पर्याप्य आंतरिक वित्तिय नियंत्रणों, जो लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, के क्रियान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों को तैयार तथा प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित हैं, की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं और सामग्री की गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हों अथवा गलती के कारण हों, शामिल होते हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा मानकों तथा ऐसे मामलों को ध्यान में रखा है, जो अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बने नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने अपेक्षित हैं।

हम अधिनियम की धारा 143 के (10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप अपनी लेखापरीक्षा का आयोजन करते हैं। उन मानकों के लिए वह अपेक्षित है जिनके लिए हम नीतिगत आवश्यकताओं के लिए लागू करते हैं और यह पर्याप्त आश्वासन पाने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाते हैं तथा निष्पादन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण मैटेरियल मिसस्टेटमेंट से मुक्त होते हैं।

किसी लेखापरीक्षा मे कार्यनिष्पादन की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं ताकि वित्तीय विवरणों में राशियों और उन्हें जाहिर करने के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें, साथ ही वित्तीय विवरणों के मैटेरियल मिसस्टेटमेंट के जोखिमों का आकलन किया जा सके, चाहें वह धोखाधड़ी के कारण हों अथवा गलती के कारण। उक्त रिक्त आकलनों को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षक कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने से संबंधित आंतरिक वित्तीय विवरणों पर विचार करता है, जो परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के क्रम में एक सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं। लेखापरीक्षा में उपयोग की गई लेखाकरण नीतियों की समुचितता का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा तैयार लेखाकरण प्राक्कलनों की उपयुक्तता भी शामिल होता है। साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और समुचित आधार उपलब्ध कराते हैं।

राय

हमारी राय में हमें प्राप्त सर्वश्रेष्ठ जानकारी और हमें दिए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित जानकारी इस तरीके से देते हैं और सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 को कंपनी के कार्यों की स्थिति, इसके लाभ और हानि तथा उस तारीख की समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह की जानकारी के परिप्रेक्ष्य में एक सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं संबंधी रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (II) के संदर्भ भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा की रिपोर्ट) के आदेश, 2016 (''आदेश'') द्वारा जैसा अपेक्षित है, हमने, जहां तक लागू है, पैराग्रफ 3 और 4 के आदेश में उल्लेखित मामलों पर विवरण अनुलग्नक 'क' में दिए हैं।
2. जैसा अधिनियम की धारा 143 (5) में अपेक्षित है, लेखापरीक्षा के दौरान जांचे जाने वाले क्षेत्रों को इंगित करने वाले दिशानिर्देश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन्हें 'अनुलग्नक' 'ख' के रूप में संलग्न किया गया है।
3. जैसा अधिनियम की धारा 143 (3) में अपेक्षित है, हमारी रिपोर्ट है कि :
    1. हमने वह समस्त जानकारी/स्पष्टीकरण चाहे और प्राप्त किए हैं जो हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।
    2. हमारी राय में, कानूनन अपेक्षित लेखा बहीयां जैसा कि उन बहीयों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी द्वारा रख ली गई है,
    3. तुलन–पत्र, लाभ और हानि के विवरण तथा नकदी प्रवाह का विवरण, जैसा इस रिपोर्ट से संबंद्ध है, लेखा बहियों के अनुरूप है,
    4. हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण, अधिनियम की, धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हैं, जिन्हें कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाता है।
    5. अधिनियम की धारा 164 (2) : सरकारी कंपनी होने के कारण प्रावधान लागू नहीं है।
    6. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में तथा उक्त नियंत्रण की संचलन संबंधी प्रभाविता का उल्लेख अनुलग्नक 'ग' में हमारी अलग रिपोर्ट में है
    7. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम (11) के अनुरूप अन्य मामले लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार :
        1. कंपनी ने अपने वित्तीय वक्तव्यों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का खुलासा किया है।
        2. कंपनी की व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घावधिक संविदाएं नहीं हैं।
        3. कंपनी के मामले में वर्ष के दौरान रिपोर्ट में ऐसा कोई अवसर सामने नहीं आया है, जबकि निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में कोई राशियां हस्तांतरित की गई हों। ऐसी राशियां के हस्तांतरण में देरी को कोई प्रश्न नहीं उठता।

कृते : मैसर्स राजेश कृष्ण खन्ना एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफ.आर.एन – 007694एन)

सी.ए. राजेश खन्ना
(पार्टनर)
सदस्य सं. : 086321

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अप्रैल 2019

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ए'

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की कंपनी के सदस्यों को संदर्भित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर हमारी रिपोर्ट है कि :

(i) (क) कंपनी ने रिकार्ड का उचित रख रखाव करते हुए अचल संपत्तियों की मात्रात्मक सहित उनकी स्थिति के पूर्ण विवरण दर्शाए हैं।

(ख) वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा समस्त अचल संपत्ति का सापेक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, कंपनी के आकार को लेकर सापेक्ष सत्यापन की बारंबारता और इसके कार्य की प्रकृति उचित है। हमें बताया गया है कि उक्त सापेक्ष सत्यापन के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गई हैं।

(ग) रिकार्ड की हमारी जांच के आधार पर हमें दी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी की कोई अचल सम्पत्ति नहीं है, अतः धारा लागू नहीं होती।

(ii) कंपनी एक सेवा प्रदाता कंपनी है। यह वर्ष के दौरान कोई भौतिक सूची नहीं रखता। अतः आदेश का पैरा 3 (ii) कंपनी पर लागू नहीं है।

(iii) कंपनी द्वारा किन्हीं सुरक्षित अथवा असुरक्षित कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में कवर होती है, को कोई ऋण नहीं दिए गए हैं। अतः आदेश का पैरा 3 (iii) (क) (ख) (ग) कंपनी पर लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कोई ऋण, निवेश, गारंटी अथवा प्रतिभूति नहीं दी गई थी, अतः अनुच्छेद लागू नहीं है।

(v) कंपनी द्वारा आम जनता से कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की गई हैं।

(vi) अधिनियम की धारा 148 (1) के अंतर्गत, कंपनी द्वारा प्रदान किन्हीं सेवाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा रिकार्ड के रखरखाव के लिए कोई लागत निर्धारित नहीं की गई है।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी द्वारा भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय–कर, सेवा–कर, जीएसटी, सेस और अन्य वैधानिक देयताएं समुचित प्राधिकारियों को अदा करने के साथ–साथ अविवादित वैधानिक देयराशि नियमित रूप से जमा की जाती हैं। दिनांक 31 मार्च 2019 तक छह महीने से अधिक समय के लिए देय वैधानिक बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकार्डों के अनुसार, कंपनी पर आयकर अथवा सेवा कर अथवा जीएसटी संबंधी कोई देयता नहीं है, जो निम्नलिखित के अलावा किसी विवाद के आधार पर जमा नहीं कराए गए हों :

(viii) कंपनी के किसी वित्तीय संगठन, बैकों, सरकार से कोई ऋण अथवा उधारी नहीं ली है अथवा वर्ष के दौरान डिबेंचर धारकों को उसकी कोई देयता नहीं है। अतः अनुच्छेद लागू नहीं होता।

(ix) कंपनी द्वारा किसी प्रारंभिक पब्लिक ऑफर अथवा बाद के किसी सार्वजनिक पेशकश (डेब्ट इन्स्टंमेंट सहित) के द्वारा किसी धनराशि की कोई उगाही नहीं की है और वर्ष के दौरान कोई टर्म लोन नहीं लिया है।

(x) हमें दी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है अथवा इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधडी की गई है और उसकी कोई रिपोर्ट मिली है।

(xi) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक सरकारी कंपनी है, अतः आदेश का अनुच्छेद 3 (xi) लागू नहीं होता।

(xii) कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है, अतः आदेश का पैरा लागू नहीं होता।

(xiii) हमें दी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के रिकार्डों को हमारी जांच के आधार पर अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन और उक्त लेन–देन के विवरण,जैसा लागू लेखाकरण मानकों द्वारा आपेक्षित है, का खुलासा वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।

(xiv) कंपनी द्वारा आलोच्य वर्ष के दौरान प्राथमिकता के आधार पर कोई आवंटन अथवा शेयरों का पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में परिवर्तनीय डिबेंचरों को कोई निजी नियोजन नहीं किया गया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा निदेशकों अथवा अपने से संबंद्ध किन्हीं व्यक्तियों के साथ कोई नगदी रहित लेन–देन नहीं किया गया है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 3 (XV) लागू नहीं है।

(xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आई ए के अंतर्गत कंपनी का पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है।

कृते : मैसर्स राजेश कृष्ण खन्ना एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंडेंट
(एफ.आर.एन – 007694एन)

सी.ए. राजेश खन्ना
(पार्टनर)
सदस्य सं. : 086321

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अप्रैल, 2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा संग्लनक – बी

आई.आई.एफ.सी.एल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018–19 के वार्षिक खातों की सांविधिक लेखा के वार्षिक खातों की सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान जांच किए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशा–निर्देश

क्र. सं.	दिशा–निर्देश	रपट	खाता और वित्ती बयान पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास स्वत्वाधिकार और पट्टाधृत भूमि के लिए क्रमशः निबंध अधिकार/पट्टा बेनामा है? यदि नहीं, तो स्वत्वाधिकार और पट्टाधृत भूमि का क्षेत्र बताएं जिसके लिए स्वत्वाधिकार/पट्टाधृत बेनामा उपलब्ध नहीं है।	कंपनी के पास कोई भी स्वत्वाधिकार वाली या पट्टाधृत भूमि नहीं है	शून्य
2.	क्या माफी/ऋण/ ब्याज आदि को छोड़ देने/ बट्टा खाते में डालने आदि का कोई भी मामला है, यदि हां तो उसका कारण और शामिल राशि।	माफी/ऋण/ ब्याज आदि को छोड़ देने/ बट्टा खाते में डालने आदि का कोई भी मामला है,	शून्य
3.	क्या तृतीय पक्षों के पास रह रहे माल और सरकार या अन्य प्राधिकारी से प्राप्त उपहार/अनुदान सम्पत्ति की विषय सुची का उचित अभिलेख रखा जाता है।	कोई भौतिक वस्तु सूची तृतीय–पक्ष के पास नहीं है और न ही सरकार या अन्य प्राधिकारी से कोई उपहार/अनुदान प्राप्त किया गया है	शून्य

कृते : मैसर्स राजेश कृष्ण खन्ना एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफ.आर.एन – 007694एन)

सी.ए. राजेश खन्ना
(पार्टनर)
सदस्य सं. : 086321

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अप्रैल, 2019

लेखा परीक्षक की रिर्पोट का संलग्नक – 'सी'

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रपट

हमने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय बयान की लेखा जांच पर वित्तीय रपट करते समय इसके आंतरिक विवित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण उसी तारीख को किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा वित्तीय रपट के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा जांच करने हेतु जारी मार्गदर्शक टिप्पणी के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रपट के ऊपर आंतरिक नियंत्रण मानदण्ड पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है। जैसा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आवश्यक है, इन जिम्मेदारियों में कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाघड़ी और त्रुटियों का पता लगाना और रोकथाम करना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, समय पर विश्वसनीय वित्तीय जानकारी तैयार करने सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जो इसके व्यापार को व्यवस्थित और कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारे द्वारा की गई लेखा जांच के आधार पर कंपनी के बीच वित्तय रपट के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण राय व्यक्त करनी हमारी जिम्मेवारी है। हमने वित्तीय रपट के ऊपर आंतरिक वित्त नियंत्रण रेखा जांच मार्गदर्शक टिप्पणी (मार्गदर्शक टिप्पणी) और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा जांच मानदंड और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किया जा समझा जाने वाला आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा जांच में किसी हद तक लागू, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा जांच पर लागू, दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी, के अनुसार हमारी लेखा जांच को किया है। उन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणियों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यक्ताओं का अनुपालन करें और उचित अशवासन प्राप्त करने के लिए लेखा जांच की योजना बनाएं और करें कि क्या वित्तीय रपट पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बनाए रखा गया था और क्या सभी तथ्यात्मक मामलों में ऐसा नियंत्रण प्रभावी ढंग से कार्य किया।

हमारे लेखन जांच की प्रक्रिया में वित्तीय रपट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनके परिचालन प्रभाव के बारे में लेखा जांच साक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। वित्तीय रपट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कि हमारी लेखा जांच में वित्तीय रपट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर समझ प्राप्त करना, जोखिम आकलन करना कि तथ्यात्मक कमजोरी मौजूद है और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर डिजाइन और संचालन का मूल्यांकन और जांच करना शामिल था। वित्तीय बयान के तथ्यात्मक गलत बयान के जोखिम का आकलन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर होता है।

हम मानते हैं कि कंपनी के वित्तीय रपट पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारे द्वारा प्राप्त किया गया साक्ष्य लेखा जांच के बारे हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रपट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की वित्तीय रिर्पोट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय वक्तव्यों को बनाने और वित्तीय रपट के बारे में विश्वसनीयता और उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया हैं एक कंपनी की वित्तीय रपट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) अभिलेखों के उचित विस्तार और सटीकता से रखरखाव से संबंधित है, और कंपनी की संपत्ति के लेनदने और स्थिति को स्पष्टता से प्रतिबिंबित करती है। (2) उचित आश्वासन प्रदान करती है कि आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों को बनाने के लिए लेन–देन को आवश्यकतानुरूप दर्ज किया गया है और की प्राप्तियों और व्यय को केवल कंपनी के प्रबंधन निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किया जा रहा है, और (3) कंपनी की संपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण उपयोग या स्थिति के बारे में रोकथाम या समय का पता लगाने के बारे में उचित अश्वासन देती है, जिसका वित्तीय बयान पर तथ्यात्मक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रपट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रपट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं होने के कारण मिलीभगत की संभावना सहित अनुचित प्रबंधन के द्वारा नियंत्रित को अधिरोहित किए जाने से त्रुटि के कारण तथ्यात्मक गलत बयान या धोखाधड़ी हो सकती है और उसका पता भी नहीं लग सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रपट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रपट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नितियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर और खराब हो सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी का, हर मामले के संबंध में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और वित्तीय आंतरिक वित्ततीय नियंत्रणों के लिए कंपनी द्वारा यह विचार करते हुए मापदंड तय किए गए हैं जिसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड अकाउंडेंटट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शा टिप्पणी नियंत्रण के अनिवार्य अवयवों पर विचार किया गया है।

कृते : मैसर्स राजेश कृष्ण खन्ना एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंडेंट
(एफ.आर.एन – 007694एन)

सी.ए. राजेश खन्ना
(पार्टनर)
सदस्य सं. : 086321

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अप्रैल, 2019

अनुलग्नक–2

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने 31 मार्च 2019 के अनुसार वर्ष के लिए समाप्त हुए आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (कंपनी), पंजीकृत कार्यालय – 5वीं मंजिल, ब्लॉक–02, प्लेट–ए, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023 के वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा आयोजित की है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देश/उप निर्देश प्रमाणित करते हैं कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते : मैसर्स राजेश कृष्ण खन्ना एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफ.आर.एन – 007694एन)

सी.ए. राजेश खन्ना
(पार्टनर)
सदस्य सं. : 086321

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अप्रैल, 2019

आई.आई.एफ.सी.एल.एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

सीआईएन : U65991DL2012GOI233601.

पंजीकृत कार्यालय : पाँचवां तल, प्लेट–ए, एनबीसीसी टॉवर–02, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023

31 मार्च, 2019 का तुलन–पत्र

(सभी आंकड़े ₹ में)

विवरण	नोट नं.	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
I. परिसंपत्तियां							
1 गैर चालू परिसंपत्तियां							
(क) संपत्ति,संयंत्र और उपकरण	3	95,263		129,921		143,369	
(ख) अन्य अमूर्त सम्पत्ति	4	75,499		88,186		111,165	
(ग) विकास के तहत अमूर्त सम्पत्ति	4	-		-		-	
(घ) वित्तीय सम्पत्तियां	5						
(i) निवेश	5.1	225,889,053		188,119,353		160,618,418	
(ii) ऋण	5.2	57,524		57,172		80,295	
(ड.) आस्थगित कर संपत्ति (नेट)	6	1,514,421		1,330,083		1,188,419	
(च) अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	7	-	277,631,760		189,724,714	-	162,141,666
2 चालू परिसंपत्तियां							
(क) वित्तीय संपत्ति	8						
(i) व्यापार स्वीकार योग्य	8.1	3.772,564		1,529,683		29,317	
(ii) नकद और नकद समकक्ष	8.2	33,958		29,061		25,229	
(iii) ऋण	8.3	45,000		238,983		169,888	
(iv) अन्य	8.4	1,140,892		11,366,941		3,092,074	
(ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां	9	1,059,403		1,099,062		2,000,526	
(ग) चालू कर संपत्ति (नेट)	10.1	12,566,977	18,618,794	14,404,368	28,668,098	10,251,914	15,568,948
कुल परिसंपत्तियां			**296,250,554**		**218,362,813**		**177,710,613**
II. इक्विटी एवं देयताएं							
1. इक्विटी							
(क) इक्विटी शेयर केपिटल	11	125,000,000		125,000,000		125,000,000	
(ख) अन्य इक्विटी	12	100,125,796	225,125,795	66,584,266	191,584,266	38,601,290	163,601,290
2 देयताएं							
गैर चालू देयताएं							
(क) वित्तीय देयताएं	13						
(i) उधार	13.1	-		-		-	
(ख) प्रावधान	13.1	2,663,786	2,663,786	2,479,284	2,479,284	1,879,588	1,879,588
चालू देयताएं							
(क) वित्तीय देयताएं	14						
(i) लघु अवधि उधार	14.1	-		-		-	
(ii) व्यापार देनदारियां	14.2			-		-	
i. सूक्ष्म और छोटे उद्यमों का बकाया		-					
ii. सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों का बकाया		-			-		
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	14.3	2,575,817		1,195,579		403,092	
(ख) अन्य चालू देयताएं	15	297,575		618,119		-	
(ग) प्रावधान	13.1	2,565,941		7,888,695		5,706,473	
(घ) चालू देय कर (नेट)	10.1	13,021,640	18,460,972	14,626,870	24,329,263	6,120,170	12,229,735
कुल इक्विटी एवं चालू देयताएं			**246,250,555**		**218,392,813**		**177,710,613**

नोट्स 1 से 38 तक लेखा का अभिन्न हिस्सा है।

निदेशक मंडल के लिए या उनकी ओर से
आई .आई.एफ.सी.एल.एसेट मैनजमेंट कंपनी लिमिटेड

कृते : मैसर्स राजेश कृष्ण खन्ना एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउटेंट्स)
एफआरएन – 007694एन

सी.ए राजेश खन्ना पार्टनर सदस्य सं. 086321	पंकज जैन (अध्यक्ष) डीआईएन – 00675922	अनिल तनेजा (सीईओ) डीआईएन – 07915933	अजय पीएस सैनी (कंपनी सचिव) एफसीएस – 5786	सुमिरन बंसल (मुख्य वित्त एवं सीएफओ) एसीए – 535730

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अप्रैल 2019

लाभ और हानि का विवरण

(सभी आंकड़े ₹ में)

	विवरण	नोट नं.	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
	राजस्व :			
I.	कार्यों से प्राप्त राजस्व	16	68,513,412	73,109,814
II.	अन्य आय	17	14,481,711	11,735,617
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		**82,995,123**	**84,845,431**
IV.	**व्यय :**			
	कर्मचारी लाभ व्यय	18	20,982,100	21,132,383
	वित्तीय व्यय	19	-	-
	मूल्य ह्रास और ऋणमुक्ति व्यय	20	88,458	135,886
	अन्य व्यय	21	17,150,088	20,202,685
	सीएसआर और आर एण्ड डी व्यय	22	-	-
	कुल व्यय (IV)		**38,220,646**	**41,470,954**
V.	असाधारण वस्तुओं और कर **(III-IV)** से पूर्व लाभ/हानि		**44,774,477**	**43,374,477**
VI,	असाधारण वस्तुएं		-	-
VII.	कर से पूर्व **(V-VI)** लाभ/हानि		44,774,477	43,374,477
VIII.	कर व्यय :	25		
	(1) चालू कर		10,836,929	14,626,867
	(2) स्थगति कर (नेट)		-22,883	110,467
	कुल कर व्यय (VIII)		**10,814,046**	**14,737,334**
IX.	निरन्तर संचालन की अवधि से लाभ/हानि **(VII - VIII)**		**33,960,431**	**28,637,143**
X.	बंद किये गये कार्यों से लाभ/हानि		-	-
XI.	बंद किये गये कार्यों कर व्यय		-	-
XII.	बंद किये गये कार्यों से लाभ/हानि (कर के बाद) (X-XI)		-	-
XIII.	अवधि **(IX+XII)** पर लाभ/हानि		**33,960,431**	**28,637,143**
XIV.	**अन्य व्यापक आय**			
	ऐसे वस्तु जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किया जायेगा	25		
	परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुर्नभुगतान लाभ/हानि		-580,356	-906,298
	परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुर्नभुगतान लाभ/हानि पर आयकर प्रभाव		161,455	252,132
XV.	**अवधि में कुल व्यापक आय (XIII +XIV)**			
	(अवधि में व्यापक लाभ और अन्य व्यापक आय)		**33,541,530**	**27,982,977**
XVI.	इक्विटी प्रति शेयर आय : (निरंतर कार्यों के लिए)			
	(1) बेसिक	32	2.72	2.29
	(2) डिल्युटेड	32	2.72	2.29
XVII.	इक्विटी प्रति शेयर आय : (कार्यों के बंद करने के लिए)			
	(1) बेसिक	32	-	-
	(2) डिल्युटेड	32	-	-
XVIII.	इक्विटी प्रति शेयर आय : (कार्यों को बंद और निरंतर करने के लिए)			
	(1) बेसिक	32	2.72	2.29
	(2) डिल्युटेड	32	2.72	2.29

नोट्स 1 से 38 तक लेखा का अभिन्न हिस्सा है।

कृते : मैसर्स राजेश कृष्ण खन्ना एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउटेंट्स)
एफआरएन – 007694एन

निदेशक मंडल के लिए या उनकी ओर से
आई .आई.एफ.सी.एल.एसेट मैनजमेंट कंपनी लिमिटेड

सी.ए राजेश खन्ना	**पंकज जैन**	**अनिल तनेजा**	**अजय पीएस सैनी**	**सुमिरन बंसल**
पार्टनर	**(अध्यक्ष)**	**(सीईओ)**	**(कंपनी सचिव)**	**(मुख्य वित्त एवं सीएफओ)**
सदस्य सं. 086321	**डीआईएन – 00675922**	**डीआईएन – 07915933**	**एफसीएस – 5786**	**एसीए – 535730**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अप्रैल 2019

इक्विटी में बदलाव का विवरण

31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के दौरान इक्विटी में बदलाव का विवरण

A. इक्विटी शेयर केपिटल

विवरण	राशि
31 मार्च, 2018 को शेष	**125,000,000**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर केपिटल में बदलाव	
(a) वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर केपिटल	-
31 मार्च, 2019 को शेष	**125,000,000**

B. अन्य इक्विटी

विवरण	रिजर्व एवं सरप्लस		कुल
	सामान्य रिजर्व	पारिधारित आय	
31 मार्च, 2018 को शेष	-	66,584,265	66,584,265
पहले की अवधि की त्रुटियां	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में बहाल शेष	-	**66,584,265**	**66,584,265**
वर्ष के लिए लाभ	-	33,960,431	33,960,431
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर का शुद्ध)	-	-418,901	-418,901
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	**33,541,530**	**33,541,530**
लाभांश (सीडीटी सहित)	-	-	-
बरकरार रखी गई आय में स्थानांतरण	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	-	**100,125,795**	**100,125,795**

31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के दौरान इक्विटी में बदलाव का विवरण

A. इक्विटी शेयर केपिटल

विवरण	राशि
31 मार्च, 2017 को शेष	**125,000,000**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर केपिटल में बदलाव	
(a) वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर केपिटल	-
31 मार्च, 2018 को शेष	**125,000,000**

B. अन्य इक्विटी

विवरण	रिजर्व एवं सरप्लस		कुल
	सामान्य रिजर्व	पारिधारित आय	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में बहाल शेष	-	38,601,291	38,601,291
पहले की अवधि की त्रुटियां	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में बहाल शेष	-	**38,601,291**	**38,601,291**
वर्ष के लिए लाभ	-	28,637,143	28,637,143
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर का शुद्ध)	-	-654,166	-654,166
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	**27,982,977**	**27,982,977**
लाभांश (सीडीटी सहित)	-	-	-
बरकरार रखी गई आय में स्थानांतरण	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	-	**66,584,268**	**66,584,268**

कृते : मैसर्स राजेश कृष्ण खन्ना एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउटेंट्स)
एफआरएन – 007694एन

निदेशक मंडल के लिए या उनकी ओर से
आई .आई.एफ.सी.एल.एसेट मैनजमेंट कंपनी लिमिटेड

सी.ए राजेश खन्ना पार्टनर सदस्य सं. 086321	पंकज जैन (अध्यक्ष) डीआईएन – 00675922	अनिल तनेजा (सीईओ) डीआईएन – 07915933	अजय पीएस सैनी (कंपनी सचिव) एफसीएस – 5786	सुमिरन बंसल (मुख्य वित्त एवं सीएफओ) एसीए – 535730

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अप्रैल 2019

नकदी प्रवाह स्थिति

(सभी आंकड़े ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष	
		राशि	राशि	राशि	राशि
1	(a) परिचालनिक गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
	कर पूर्व शुद्ध लाभ	44,194,121		43,374,477	
	जोड़ : गैर नकद वस्तुओं के लिए समायोजन				
	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	88,458		135,886	
	सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान	-		1,875,620	
		44,282,579		45,385,983	
	जोड़ : अन्य मदों के लिए समायोजन				
	अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि	-			
	अन्य आय	(14,479,735)		(11,735,617)	
	प्राप्त लाभांश	-		-	
	वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान Ind AS समायोजन का प्रभाव	-		-	
	अन्य व्यापक आय	-		-	
	कार्यगत पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	29,802,844		33,650,386	
	(b) कार्यगत पूंजी में बदलाव के लिए समायोजन				
	कार्यगत पूंजी में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन				
	व्यापार प्राप्य (वर्तमान)	(2,242,881)		(1,500,366)	
	बैंक शेष नकद और नकद समकक्ष के अलावा	-		-	
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	10,420,032		(8,343,962)	
	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	39,659		901,464	
		8,216,810		**(8,942,864)**	
	(c) परिचालन दायित्व में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन				
	व्यापार देनदारी	-		-	
	अन्य वित्तीय दायित्व	1,380,236		792,487	
	अन्य वर्तमान दायित्व	(320,544)		618,119	
	लघु अवधि प्रावधान	(5,322,754)		-	
	दीर्घ अवधि प्रावधान	184,502		-	
		(4,078,559)		**1,410,606**	
	संचालन से उत्पन्न नकद	33,941,095		26,118,108	
	प्रत्यक्ष कर भुगतान/प्राप्त	10,604,767		10,272,621	
	परिचालन कार्यों (A) से नकद प्रवाह	**23,336,327**	23,336,327	**15,845,488**	15,845,488
2	**निवेश कार्यों से नकद :–**				
	फिकस्ड एसेट्स/डिपॉजिट बिक्री से आय	(88,458)		(135,886)	
	ऋण से कार्यवाही	(352)		(23,123)	
	अन्य गैर वर्तमान वित्तीय परिसंपत्ति	-		-	
	वर्तमान निवेश को नकद अथवा नकद समकक्ष के रूप में अमान्य				
	- खरीद	47,345		36,427	
	दीर्घ अवधि निवेश की खरीद				
	- फिकस्ड डिपोजिट	(37,769,700)		(27,500,935)	
	ब्याज आय (राजस्व)				
	- अन्य	14,479,735		11,735,617	
	प्राप्त लाभांश				
	- संयुक्त उद्यम	-		-	
	निवेश से शुद्ध नकद उत्पन्न/(में इस्तेमाल) क्रियाकलाप (B)	**23,331,430**	23,331,430	(15,841,654)	(15,841,654)
3	**वित्तीय कार्यों में नकद प्रवाह**				
	शेयर पूंजी जारी करने की कार्यवाही (शेयर आवेदन राशि सहित)	-		-	
	रिजर्व का उपयोग				
	शुद्ध नकद उत्पन्न/(में इस्तेमाल) वित्तीय क्रियाकलाप (C)	-	-	-	-
	नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (A+B+C)		4,897		3,834
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समकक्ष		29,061		25,229
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष		33,958		29,061
	नकद और नकद समकक्ष				
	- नकद और चेक	5,735		17,480	
	अनुसूचित बैंको के साथ संतुलन				
	- चालू खाता पर	28,223		11,581	
	- सावधि जमा खाता पर				
			33,958		29,061

नोट : उपरोक्त नकदी प्रवाह का विवरण IND- AS-7 के अनुसार अप्रयत्क्ष विधि के तहत तैया किया गया है जो भारत चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान और कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

कृते : मैसर्स राजेश कृष्ण खन्ना एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउटेंट्स)
एफआरएन – 007694एन

निदेशक मंडल के लिए या उनकी ओर से
आई .आई.एफ.सी.एल.एसेट मैनजमेंट कंपनी लिमिटेड

सी.ए राजेश खन्ना	पंकज जैन	अनिल तनेजा	अजय पीएस सैनी	सुमिरन बंसल
पार्टनर	(अध्यक्ष)	(सीईओ)	(कंपनी सचिव)	(मुख्य वित्त एवं सीएफओ)
सदस्य सं. 086321	डीआईएन – 00675922	डीआईएन – 07915933	एफसीएस – 5786	एसीए – 535730

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अप्रैल 2019

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
नोट 1 और 2

1. **व्यावसायिक जानकारी :** आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, मैसर्स इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (IIFCL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। आईआईएफसीएल ने धन का प्रबंधन करने के लिए SEBI रेगुलेटेड म्यूचुअल फंड रूट को चुना और मार्च, 2012 में आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड को शामिल किया। कंपनी का मूल व्यवसाय आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजमेंट है।

2. **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार**

2.1 भारतीय लेखा मानकों के साथ अनुपालन

अंतरिम वित्तीय विवरण कंपनी लेखा अधिनियम, 2013 (अधिनियम) भारतीय लेखा मानक नियम, 2015, की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (समय–समय पर संशोधित) अधिनियम के अन्य प्रासंगिक प्रावधान के साथ सभी पहलुओं का अनुपालन करते हैं। 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए ये अंतरिम वित्तीय विवरण कंपनी के पहले भारतीय लेखा मानक अंतरिम वित्तीय विवरण हैं।

2.2 अनुमान और निर्णय का उपयोग

अंतरिम वित्तीय विवरणों की तैयारी भारतीय लेखा मानक के अनुरूप है, लेखांकन नीतियों और परिसंपत्तियों, देनदारियों, अंतरिम वित्तीय की तारीख में आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करने वाले निर्णय, अनुमान और अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। बयान और आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि। ऐसे अनुमानों के उदाहरणों में कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुमानित उपयोगी जीवन के तहत भविष्य के दायित्वों के अनुमान शामिल हैं, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

समय–समय पर अनुमान और अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा की जाती है। इन परिणामों में परिवर्तन और वास्तविक परिणाम के बीच अंतर के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और अनुमान उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं या भौतिक होते हैं।

भारतीय रुपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी और सभी मूल्यों को निकटतम रूपयों के लिए पूर्णांक किया जाता है। जहां अन्यथा कहा गया है उसे छोड़कर।

2.3 ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन

ये अंतरिम वित्तीय विवरण एक ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय नीचे दिए गए लेखांकन नीतियों में :

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है; तथा
- परिभाषित लाभ योजनाएँ – उचित मूल्य पर मापी गई संपत्ति

2.4 वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है।

किसी संपत्ति को वर्तमान के रूप में माना जाता है :

- सामान्य परिचालन चक्र में महसूस किए जाने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर महसूस किए जाने की उम्मीद है, या
- नकद या नकद समतुल्य जब तक कि एक्सचेंज किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए एक दायित्व का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक देयता वर्तमान है जब :

- इसके सामान्य परिचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद है।

- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर तय होने के कारण है, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों को गैर–वर्तमान संपत्ति और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

व्यवसाय की प्रकृति और व्यवसाय चलाने के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी और नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच के समय के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों के वर्तमान/गैर–वर्तमान और देनदारियों का वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए बारह महीने के रूप में अपने परिचालन चक्र का पता लगाया है।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ऐतिहासिक लागत कम मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, पर बताए गए हैं। ऐतिहासिक लागत में वह व्यय शामिल होता है जो वस्तुओं के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार होता है।

भारतीय लेखा मानकों में संक्रमण के लिए, कंपनी ने अपने सभी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्य को जारी रखने के लिए 1 अप्रैल, 2018 (संक्रमण तिथि) को पिछले GAAP के अनुसार मापा और उस ले जाने वाले मूल्य का उपयोग संक्रमण तिथि के अनुसार अपनी अनुमानित लागत के अनुसार जारी रखने के लिए चुना है।

बाद की लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जब उचित हो, तभी यह संभव है कि वस्तुओं से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और वस्तु की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। अलग–अलग परिसंपत्ति के रूप में हिसाब रखने वाले किसी भी घटक की ले जाने वाली राशि को बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ और हानि के बयान के लिए अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव का शुल्क लिया जाता है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और शुरू में पहचाने गए किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से की वस्तु को निपटान पर या जब इसके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है। परिसंपत्ति की व्युत्पत्ति पर उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि (शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जब परिसंपत्ति की पहचान की जाती है।

मूल्यह्रास के तरीके

मूर्त संपत्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ।। में प्रदान की गई विधि का उपयोग करके मूर्त अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास किया गया है। व्यक्तिगत संपत्ति पर मूल्यह्रास लाभ और हानि के विवरण पर 5000/ – या उससे कम का शुल्क 100 प्रतिशत लिया जाता है।

अमूर्त संपत्ति

अमूर्त संपत्ति को उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित जीवन पर एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

4. गैर–वित्तीय संपत्तियों की हानि

किसी संपत्ति को तब बिगड़ा हुआ माना जाता है जब परिसंपत्तियों की वहन लागत उसके वसूलनीय मूल्य से अधिक हो जाती है और उस वर्ष में लाभ और हानि के विवरण के लिए हानि का शुल्क लिया जाता है जिसमें किसी परिसंपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कंपनी हानि की अनुमानित राशि का आकलन करती है। पूर्व लेखा अवधि में मान्यता प्राप्त हानि उलट है अगर वसूली योग्य राशि के अनुमान में बदलाव हुआ है और इस तरह के नुकसान या तो मौजूद नहीं हैं या कम हो गए हैं। बिगड़ा हुआ नुकसान का उलटा लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

5. **व्यापार प्राप्य**

व्यापार प्राप्य को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में किसी भी अपेक्षित क्रेडिट हानि, यदि कोई हो, के परिशोधन लागत नेट पर मापा जाता है।

6. **नकद और नकद समकक्ष**

नकदी में हाथ में नकदी, बैंकों के साथ डिमांड डिपॉजिट, पोस्टल अथॉरिटी के साथ सबसे बेहतर और चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर हाथ में होता है। कंपनी नकद समतुल्य को सभी अल्पकालिक शेष राशि के रूप में मानती है (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश वो होते हैं जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो परिवर्तन के एक तुच्छ जोखिम के अधीन मूल्य हैं।

7. **वित्तीय साधन**

कंपनी के पास मुख्य रूप से दो प्रकार के वित्तीय साधन हैं और वे कर्मचारी हैं जो किराये के उद्देश्यों के लिए कर्मचारियों की ओर से जमा किए गए सुरक्षा और जमा राशि पर विस्तारित हैं।

i) प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय साधनों को इसके उचित मूल्य जोड़ या ट्रांजेक्शन लागत घटाओ पर मान्यता प्राप्त है जो वित्तीय साधनों के अधिग्रहण या मुद्दे के लिए सीधे जिम्मेदार हैं।

ii) बाद का माप

- कम लागत पर : एक वित्तीय साधन को परिमित लागत पर मापा जाएगा यदि दोनों निम्न शर्तें पूरी होती हैं :

  (ए) वित्तीय परिसंपत्ति एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना है और

  (बी) वित्तीय परिसंपत्ति के अनुबंध की शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो मूल रूप से बकाया मूलधन और मूलधन के ब्याज का भुगतान करती हैं।

  यदि प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि कम हानि का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां। लाभ और हानि के बयान में ईआईआर परिशोधन वित्त आय में शामिल है।

  चूंकि कर्मचारी के ऋण और सुरक्षा जमा के मामले में दोनों शर्तें पूरी होती हैं, इसलिए दोनों को अंतरिम वित्तीय विवरण में उनकी परिमित लागत पर लिया जाता है।

- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य :

  एक वित्तीय साधन को FVTOCI में वर्गीकृत किया जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे किए जाते हैं :

  (क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य दोनों संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और

  ख) वित्तीय परिसंपत्ति के अनुबंध की शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो मूल रूप से मूलधन और मूल राशि पर ब्याज का भुगतान करती हैं।

  FVTOCI श्रेणी के भीतर शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में मान्यता दी जाती है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। हानि राशि या हानि की मान्यता को छोड़कर, ले जाने वाली राशि में आंदोलनों को ओसीआई के माध्यम से दर्ज किया जाता है।

- लाभ और हानि खाते के माध्यम से उचित मूल्य :

  एक वित्तीय साधन को थ्टज्ज्स् में वर्गीकृत किया जाता है, यदि दोनों निम्न मानदंड पूरे किए जाते हैं :

  (क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर, और

ख) वित्तीय परिसंपत्ति के अनुबंध की शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो मूल रूप से मूलधन और मूल राशि पर ब्याज का भुगतान करती हैं।

FVTPL श्रेणी में शामिल वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर P & L में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

इसके अलावा, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति, जो परिशोधन के मानदंडों को परिमित लागत या FVTOCI के रूप में पूरा नहीं करती है, को FVTPL के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को नामित करने के लिए चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के रूप में परिशोधित लागत या एफवीओओसीआईआई मानदंडों को पूरा करती है। यदि ऐसा करना माप या मान्यता की असंगति को कम करता है या समाप्त करता है। कंपनी ने FVTPL में कोई वित्तीय परिसंपत्ति निर्दिष्ट नहीं की है।

वित्तीय देनदारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- बढ़ी हुई लागत

  व्यापार और अन्य देयताओं द्वारा दर्शाए गए परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, और बाद में परिशोधन लागत पर किया जाता है।

- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य।

  कंपनी ने FVTPL में कोई वित्तीय देनदारियों को निर्दिष्ट नहीं किया है।

वित्तीय साधन की मान्यता

- वित्तीय परिसंपत्ति

  वित्तीय संपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय संपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) केवल तभी पहचाना जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंध संबंधी अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करता है और सभी जोखिमों को काफी हद तक दूर करता है।

- वित्तीय देयता

  एक वित्तीय देयता को तब पहचाना जाता है जब दायित्व के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से अलग–अलग शर्तों पर बदल दिया जाता है, या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता की पहचान और एक नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है।

8. उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों को मापती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप अनुमान के आधार पर है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए लेनदेन या तो होता है :

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, या
- परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति।

मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार कंपनी के लिए सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है जो बाजार सहभागियों द्वारा परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय उपयोग किया जाएगा, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। कंपनी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त होती हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध होते हैं, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करते हैं और अप्रमाणित आदानों के उपयोग को कम करते हैं।

9. व्यापार और अन्य भुगतान

ये राशियाँ वित्तीय वर्ष के अंत से पहले कंपनी को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए देयताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो कि अवैतनिक हैं। आमतौर पर राशियाँ असुरक्षित होती हैं। व्यापार और अन्य भुगतान को वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद भुगतान बारह महीने के भीतर नहीं होता है। वे शुरू में अपने उचित मूल्य पर पहचाने जाते हैं।

10. प्रावधान

कंपनी एक प्रावधान को मान्यता देती है जब एक अतीत की घटना के परिणामस्वरूप एक वर्तमान कानूनी और रचनात्मक दायित्व होता है जिसे संभवतः संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होती है और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की राशि से बनाया जा सकता है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के वर्तमान मूल्य पर प्रावधान मापा जाता है।

11. आकस्मिक देयता और आकस्मिक संपत्ति

आकस्मिक दायित्व के लिए एक प्रकटीकरण तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व या एक वर्तमान दायित्व होता है, लेकिन संभवतः संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता नहीं होगी। जब एक संभावित दायित्व या एक वर्तमान दायित्व होता है कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्ति का खुलासा किया जाता है, जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित है।

12. राजस्व मान्यता

- **प्रबंधन शुल्क**

  प्रबंधन द्वारा निर्धारित आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड से ली गई प्रबंधन शुल्क से आय (यानी SEBI द्वारा निर्दिष्ट) प्रबंधन आधार पर प्रबंधन (AUM) के तहत आस्तियों पर लागू होती है।

- **ब्याज आय**

  लेन–देन में निहित दरों के आधार पर, बैंक के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट से ब्याज आय से राजस्व को समय अनुपात पद्धति का उपयोग करके मान्यता प्राप्त है।

- **कर वापसी पर ब्याज आय**

  कर वापसी पर ब्याज आय, यदि कोई हो, तो मूल्यांकन के आदेशों के आधार पर हिसाब लगाया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

इस लाभ में मुख्य रूप से लीव एनकैशमेंट लीव लीव, ध्ध्एनपीएस, लीव ट्रैवल कंसेशन, ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट के बाद का मेडिकल लाभ शामिल है।

- **लघु अवधि कर्मचारी लाभ**

  सभी कर्मचारी लाभ प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से लाभान्वित होते हैं, जिन्हें अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वेतन, मजदूरी, और अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति, एलटीसी आदि जैसे लाभ उस अवधि में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

- **दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ**

  बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त दायित्व योजना परिसंपत्तियों के बैलेंस शीट दिनांक कम उचित मूल्य पर परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित लाभ दायित्व अनुमानित इकाई क्रेडिट (PUC) विधि का उपयोग करके एक स्वतंत्र एक्चुअरी द्वारा गणना की जाती है।

  अन्य व्यापक आय में बीमांकिक लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

14. आयकर

- **करंट इनकम टैक्स**

  क) मौजूदा आयकर सहित करों की गणना लागू कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है।

  ख) राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किए गए हैं, उन देशों में रिपोर्टिंग तिथि पर जहां कंपनी संचालित होती है और कर योग्य आय उत्पन्न करती है।

  ग) वर्तमान और पूर्व की अवधि के लिए वर्तमान आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उस राशि से मापा जाता है जो कराधान अधिकारियों से वसूल की जाती है या भुगतान किया जाता है, अतिरिक्त करों के लिए देयता, यदि कोई हो, प्रदान की जाती है और जब मूल्यांकन पूरा हो जाता है।

  घ) ओसीआई मद से संबंधित वर्तमान कर अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त हैं।

- **आस्थगित आयकर**

  क) बैलेंस शीट दृष्टिकोण का उपयोग करके आस्थगित आयकर को मान्यता दी गई है।

  ख) आस्थगित आयकर संपत्ति और देनदारियों को अस्थायी मतभेदों के लिए पहचाना जाता है जो कि कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके गणना की जाती है जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या अधिनियमित किया गया है।

  ग) आस्थगित आयकर संपत्ति को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर नुकसान को आगे बढ़ाया जा सकता है।

  घ) आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि अब यह सम्भावना नहीं रह जाती है कि आस्थगित आयकर कर के सभी या हिस्से का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

  ड.) ओसीआई मद से संबंधित आस्थगित कर अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है।

15. कैश फ्लो स्टेटमेंट

कैश फ्लो को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके सूचित किया जाता है, जिससे गैर–नकद प्रकृति के लेनदेन और पिछले या भविष्य के नकद प्राप्तियों या भुगतान के किसी भी अवहेलना या प्रोद्भवन के प्रभावों के लिए कर समायोजित किया जाता है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह अलग हो जाता है।

16. प्रति शेयर आय

प्रति शेयर कमाई का निर्धारण करने में, कंपनी इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ को जिम्मेदार मानती है। प्रति शेयर बुनियादी आय की गणना में उपयोग किए जाने वाले शेयरों की संख्या वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है। प्रति शेयर कमाई करने वाले की गणना नहीं की जाती है क्योंकि वर्ष के दौरान इसमें कोई कमजोर पड़ने की संभावना नहीं होती है।

नोट :– 3
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण

विवरण	कार्यालय उपकरण (45.07% मुल्यह्रास)	कार्यालय उपकरण (100% मुल्यह्रास)	फर्नीचर एवं फिक्सचर (25.89% मुल्यह्रास)	कम्प्यूटर (63.16% मुल्यह्रास)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (100% मुल्यह्रास)	कुल
लागत या डीम्ड लागत						
31 मार्च 2017 को	159,601	20,268	-	752,812	4,950	937,631
वर्ष के दौरान योग	83,500	-	-	10,200	-	93,700
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 को	**243,101**	**20,268**	**-**	**763,012**	**4,950**	**1,031,331**
वर्ष के दौरान योग	2,400	-	28,012	-	-	30,412
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019 को	**245,501**	**20,268**	**28,012**	**763,012**	**4,950**	**1,061,743**
मूल्यह्रास और हानि						
31 मार्च 2017 को	73,984	20,268	-	695,060	4,950	794,262
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास शुल्क	67,148	-	-	40,000	-	107,148
हानि	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2018 को	**141,132**	**20,268**	**-**	**735,060**	**4,950**	**901,410**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास शुल्क	46,681	-	735	17,654	-	65,070
हानि	-	-	-	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2019 को	**187,813**	**20,268**	**735**	**752,714**	**4,950**	**966,480**
नेट बुक वेल्यु						
31 मार्च 2019	**57,688**	**-**	**27,277**	**10,298**	**-**	**95,263**
31 मार्च 2018	**101,969**	**-**	**-**	**27,952**	**-**	**129,921**
31 मार्च 2017	**85,617**	**-**	**-**	**57,752**	**-**	**143,369**

3.1 वर्ष के दौरान 5000 रूपये से कम लागत की आस्तियां पूर्णतः मूल्यह्रास की गई।

नोट :– 4
अमूर्त आस्तियों का विवरण

विवरण	प्रगतिशील अमूर्त आस्तियां	अन्य अमूर्त आस्तियां (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर)	कुल
लागत या डीम्ड लागत			
31 मार्च 2017 को	**-**	**204,341**	**204,341**
वर्ष के दौरान योग	-	5,759	5,759
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2018 को	**-**	**210,100**	**210,100**
वर्ष के दौरान योग	-	10,701	10,701
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2019 को	**-**	**220,801**	**220,801**
परिशोधन और हानि			
31 मार्च 2017 को	**-**	**93,176**	**93,176**
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	28,738	28,738
हानि	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2018 को	**-**	**121,914**	**121,914**
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	23,388	23,388
हानि	-	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च 2019 को	**-**	**145,302**	**145,302**
नेट बुक वेल्यु			
31 मार्च 2019	**-**	**75,499**	**75,499**
31 मार्च 2018	**-**	**88,186**	**88,186**
31 मार्च 2017	**-**	**111,165**	**111,165**

नोट :– 5 पुनर्निर्मित गैर–समेकित वित्तीय परिसंपत्ति गैर वर्तमान
5.1 निवेश का विवरण

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
फिक्स्ड डिपोजिट में निवेश (12 महीने से अधिक)			
फिक्स्ड डिपोजिट	225,889,053	188,119,353	160,618,418
कुल (अन्य इक्विटी उपकरणों के अलावा निवेश)	**225,889,053**	**188,119,353**	**160,618,418**
कुल गैर वर्तमान निवेश	225,889,053	188,119,353	160,618,418
निर्विवाद निवेशों का सकल मूल्य	225,889,053	188,119,353	160,618,418
निवेश के मूल्य में हानि की सकल राशि	-	-	-

5.2 ऋण विवरण

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
असुरक्षित, ठीक मान्य			
ऋण और अग्रिम	57,524	57,172	80,295
कुल	57,524	57,172	80,295

नोट :– 6

आस्थगित कर का विवरण

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
आस्थगित कर परिसंपत्ति	1,514,421	1,330,083	1,188,419
आस्थगित कर दायित्व	-	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध आस्थगित कर दायित्व)	**1,514,421**	**1,330,083**	**1,188,419**

नोट :– 7

अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्ति का विवरण

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अग्रिम व्यय	-	-	-
	-	-	-

नोट :– 8 वर्तमान वित्तीय परिसंपत्ति

8.1 व्यापार प्राप्तियों का सारांश विवरण

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
असुरक्षित, ठीक मान्य			
संबंधित पक्षों का प्राप्तियां	-	-	-
अन्य व्यापार प्राप्तियां	3,772,564	1,529,683	29,317
कुल व्यापार प्राप्तियां	**3,772,564**	**1,529,683**	**29,317**
देनदारों का आयुवार विश्लेषण			
(a) 6 महीने से ज्यादा			
असुरक्षित, ठीक मान्य	-	-	-
(b) अन्य (6 महीने से कम)			
असुरक्षित, ठीक मान्य	3,772,564	1,529,683	29,317
	3,772,564	**1,529,683**	**29,317**

8.2 नकद और नकद समकक्ष का सारांश विवरण

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
(i) बैंक शेष			
-- चालू खाता	28,223	17,480	22,307
-- फिक्सड डिपोजिट (परिपक्वता 3 महीने से कम)			
(ii) हाथ में नकद	5,735	11,581	2,922
(iii) हाथ में चेक	-	-	-
कुल	**33,958**	**29,061**	**25,229**

(i) रिपोर्टिंग अवधि और पूर्व अवधियों के अंत में नकदी और नकद समकक्षों के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है।

8.3 ऋण का संक्षिप्त विवरण

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
असुरक्षित, ठीक मान्य			
कर्मचारियों को ऋण	-	25,983	21,888
त्योहार अग्रिम	45,000	213,000	148,000
निदेशक को ऋण	-	-	-
कुल	**45,000**	**2,38,983**	**1,69,888**

8.4 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
असुरक्षित, ठीक मान्य			
सिक्योरिटी डिपोजिट	224,000	224,000	170,000
अन्य प्राप्तियां	-	-	-
फिकस्ड डिपोजिट पर ब्याज प्राप्य	916,892	11,142,941	2,922,074
कुल	**1,140,892**	**11,366,941**	**3,092,074**

नोट : 9

अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
(a) केपिटल अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम			
निवेशक शिक्षा खाता के लिए अग्रिम	15,000	15,000	15,000
अन्य प्राप्तियां	100,000	100,000	1,784,727
अन्य अग्रिम	-	-	-
सरकारी प्राधिकरणों के साथ शेष	-	48,600	799
(b) अग्रिम व्यय	944,403	935,462	200,000
कुल	**1,059,403**	**1,099,062**	**2,000,526**

नोट : 10

चालू कर का संक्षिप्त विवरण

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
10.1 चालू कर परिसंपत्ति			
अग्रिम कर और टीडीएस	10,382,267	12,219,658	7,263,015
कमीः प्रत्यक्ष कर देय	-	-	-
आयकर वापसी	2,184,710	2,184,710	2,988,899
कुल	**12,566,977**	**14,404,368**	**10,251,914**
10.2 चालू कर दायित्व			
प्रत्यक्ष कर देय	13,021,640	14,626,870	6,120,170
कमीः अग्रिम कर और टीडीएस	-	-	
कुल	**13,021,640**	**14,626,870**	**6,120,170**

नोट :– 11

इक्विटी शेयर केपिटल का संक्षिप्त विवरण

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
अधिकृत शेयर पूंजी	150,000,000	150,000,000	150,000,000
₹10 प्रति के 15,000,000 इक्विटी शेयर	150,000,000	150,000,000	150,000,000
जारी/सब्सक्राइब और भुगतान किया गया पूंजी	125,000,000	125,000,000	125,000,000
₹10 प्रति के 12,500,000 इक्विटी शेयर	125,000,000	125,000,000	125,000,000

कंपनी में 5% से अधिक शेयरधारक का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	शेयरों की सं.	% श्रेणी में धारक	शेयरों की सं.	% श्रेणी में धारक	शेयरों की सं.	% श्रेणी में धारक
रूपयों में भुगतान किये गये कुल इक्विटी शेयर						
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	12,500,000	100	12,500,000	100	12,500,000	100
कुल	**12,500,000**	**100**	**12,500,000**	**100**	**12,500,000**	**100**

1. शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

इक्विटी शेयर : कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का एक वर्ग है जिसका प्रति शेयर 10 रूपये के बराबर मूल्य है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। परिसमापन की घटना में, इक्विटी शेयरधारक सभी अधिमान्य मात्रा के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए पात्र हैं अनुपात में उनकी हिस्सेदारी के लिए।

इक्विटी शेयर संख्या और शेयर केपिटल का सामंजस्य

शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को		31 मार्च 2017 को	
	शेयरों की सं.	रूपयों में	शेयरों की सं.	रूपयों में	शेयरों की सं.	रूपयों में
जारी/सब्सक्राइब और भुगतान किये गये इक्विटी केपिटल वर्ष के प्रारंभ में बकाया	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000
योग : वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-	-	-
जारी/सब्सक्राइब और भुगतान किये गये इक्विटी केपिटल वर्ष के प्रारंभ में बकाया	**12,500,000**	**12,500,000**	**12,500,000**	**12,500,000**	**12,500,000**	**12,500,000**

नोट :– 12

अन्य इक्विटी विवरण

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
सामान्य रिजर्व	-	-	-
प्रतिधारित आय	100,125,795	66,584,266	38,601,290
	100,125,795	**66,584,266**	**38,601,290**

नोट :– 12.1

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
(a) सामान्य रिजर्व			
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	-	-	-
योग : प्रतिधारित आय से स्थानांतरित	-	-	-
	-	-	-
(b) प्रतिधारित आय			
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार	66,584,265	38,601,290	28,494,373
योग : कर बाद लाभ	33,960,431	28,637,142	10,106,917
कमी : लाभांश की घोषणा और वर्ष के दौरान भुगतान	-	-	-
कमी : लाभांश घोषणा और भुगतान पर लाभांश वितरण कर	-	-	-
कमी : वर्ष के दौरान अंतरिम लाभांश भुगतान	-	-	-
कमी : अंतरिम लाभांश भुगतान पर लाभांश वितरण कर	-	-	-
कमी : सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-
प्रतिधारित आय में अन्य व्यापक आय की वस्तुओं की मान्यता			
परिभाषित लाभ योजनाओं का पूर्नमूल्याकंन, कर का शुद्ध	-418,901	-654,166	-
	100,125,795	**66,584,266**	**38,601,290**

नोट :– 13
प्रावधानों का विवरण

विवरण	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान							कुल
	अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	सेवानिवृत्ति के लिए प्रावधान	एलटीसी के लिए प्रावधान	मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान	भूतपूर्व के लिए प्रावधान	सातवें वेतन आयोग के लिए प्रावधान	तीसरा पीआरसी लिए प्रावधान	
31 मार्च 2017 को	**542,651**	**1,375,652**	**1,055,579**	**4,612,179**	**-**	**-**	**-**	**7,586,061**
वर्तमान	36,858	1,857	1,055,579	4,612,179	-	-	-	5,706,479
गैर वर्तमान	505,793	1,373,795	-	-	-	-	-	1,879,588
			-					
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	179,564	436,627	-	2,200,342	-	-	-	2,816,533
वर्ष के दौरान उपयोग	-	-	(34,615)	-	-	-	-	(34,615)
31 मार्च 2018 को	**722,216**	**1,812,279**	**1,020,964**	**6,812,521**	**-**	**-**	**-**	**10,367,979**
वर्तमान	48,924	6,286	1,020,964	6,812,521	-	-	-	7,888,695
गैर वर्तमान	673,291	1,805,993	-	-	-	-	-	2,479,284
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	350,026	975,593	565,915	-	-	-	-	1,891,480
वर्ष के दौरान उपयोग	(159,318)	(91,893)	(784,000)	5,994,521	-	-	-	4,959,310
31 मार्च 2019 को	**912,923**	**2,695,925**	**802,879**	**818,000**	**-**	**-**	**-**	**5,229,727**
वर्तमान	55,130	889,932	802,879	818,000	-	-	-	2,565,941
गैर वर्तमान	857,793	1,805,993	-	-	-	-	-	2,663,786

13.2 आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए

परिभाषित लाभ योजना के संबंध में भारतीय लेखा मानक –19 "कर्मचारी लाभ" के तहत आवश्यक खुलासा है :

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के प्रारंभ और अंतिम शेष में सामंजस्य

विवरण	ग्रेच्यूटी			अवकाश नकदीकरण			सेवानिवृत्ति लाभ			एलटीसी		
	3/31/2019	3/31/2018	3/31/2017	3/31/2019	3/31/2018	3/31/2017	3/31/2019	3/31/2018	3/31/2017	3/31/2019	3/31/2018	3/31/2017
प्रारंभिक शेष	719,571	499,728	317,966	722,215	542,651	346,288	1,092,708	875,924	556,954	1,020,964	1,055,579	799,998
ब्याज लागत	55,479	37,679	25,437	55,683	40,916	27,703	84,248	66,045	44,556	78,716	79,591	64,000
वर्तमान सेवा लागत	263,685	208,343	178,287	218,094	241,991	20,571	365,780	343,474	330,414	189,439	412,015	563,855
लाभ भुगतान	-	-	-	(159,318)	(182,759)	(161,620)	(91,893)	(143,567)	(225,534)	(784,000)	(1,428,450)	(1,267,950)
वास्तविक दायित्व पर (लाभ)/हानि	130,642	(28,179)	(21,962)	76,249	79,416	120,709	75,705	(49,168)	169,534	297,760	902,229	895,676
अंतिम शेष	**1,169,377**	**719,571**	**499,728**	**912,923**	**722,215**	**542,651**	**1,526,548**	**1,526,548**	**875,924**	**875,924**	**1,020,964**	**1,055,579**

लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

	ग्रेच्यूटी			अवकाश नकदीकरण			सेवानिवृत्ति लाभ			एलटीसी		
	3/31/2019	3/31/2018	3/31/2017	3/31/2019	3/31/2018	3/31/2017	3/31/2019	3/31/2018	3/31/2017	3/31/2019	3/31/2018	3/31/2017
ब्याज लागत	55,479	37,679	25,437	55,683	40,916	27,703	84,248	66,045	44,556	78,716	79,591	64,000
वर्तमान सेवा लागत	263,685	208,343	178,287	218,094	241,991	209,571	365,780	343,474	330,414	189,439	412,015	563,855
वास्तविक दायित्व पर (लाभ)/हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेष	**319,164**	**246,022**	**203,724**	**273,777**	**282,907**	**237,274**	**450,028**	**409,519**	**374,970**	**268,155**	**491,606**	**627,855**

अन्य व्यापक आय खाता में मान्यता प्राप्त राशि

विवरण	ग्रेच्यूटी			अवकाश नकदीकरण			सेवानिवृत्ति लाभ			एलटीसी		
	3/31/2019	3/31/2018	3/31/2017	3/31/2019	3/31/2018	3/31/2017	3/31/2019	3/31/2018	3/31/2017	3/31/2019	3/31/2018	3/31/2017
वास्तविक दायित्व पर (लाभ)/हानि	130,642	(26,179)	(21,962)	76,249	79,416	120,709	75,705	(49,168)	169,534	297,760	902,229	895,676
	130,642	**(26,179)**	**(21,962)**	**76,249**	**79,416**	**120,709**	**75,705**	**(49,168)**	**169,534**	**297,760**	**902,229**	**895,676**

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर आधा वेतन अवकाश सहित अवकाश वेतन देय है। अवकाश देय राशि की राशि सेवानिवृत्ति के समय पिछली सेवा और वेतन पर आधारित है।

ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के प्रावधान के खिलाफ कोई निवेश नहीं किया गया है।

वास्तविक धारणाएँ	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
मूल्यांकन की विधि :	प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट विधि	प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट विधि	प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट विधि
छूट की दर :	7.66%	7.71%	7.54%
वेतन वृद्धि दर :	5.50%	5.50%	5.50%
सेवानिवृत्ति दर :	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
निकासी दर :	कम उम्र में 3% और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 1% तक कम करना	कम उम्र में 3% और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 1% तक कम करना	कम उम्र में 3% और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 1% तक कम करना
मृत्यु दर	इंडिया एश्यूर्ड लाइव्स मोर्टेलिटी (2006–08)	इंडिया एश्यूर्ड लाइव्स मोर्टेलिटी (2006–08)	इंडिया एश्यूर्ड लाइव्स मोर्टेलिटी (2006–08)

संवेदनशीलता विश्लेषण

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए एक धारणा में बदलाव पर आधारित है। व्यवहार में, यह होने की संभावना नहीं है, और कुछ मान्यताओं में परिवर्तन सहसंबद्ध हो सकते हैं। जब महत्वपूर्ण बीमांकिक मान्यताओं के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता की गणना करते हैं। विधि (अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि) को वित्तीय स्थिति के विवरण के भीतर मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना करते समय लागू किया गया है।

इसमें बदलाव	मान्यताओं में बदलाव	ग्रेच्यूटी दायित्व पर प्रभाव	अवकाश नकदीकरण पर प्रभाव	मेडिकल सेवानिवृत्ति लाभ पर प्रभाव	एलटीसी पर प्रभाव
छूट की दर	+0.5%	(0.44)	(0.47)	-	-
	+0.5%	0.48	0.51	-	-
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	0.49	0.52	-	-
	+0.5%	(0.45)	(0.48)	-	-

नोट : 14

अन्य इक्विटी विवरण

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
प्रारंभ शेष	-	-	-
योग : वर्ष के दौरान योग	-	-	-
कमी : वर्ष के दौरान पुर्नभुगतान	-	-	-
	-	-	-

14.2 व्यापार देय विवरण

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	-	-	-
- अन्य	-	-	-
कुल	-	-	-

14.3 अन्य वित्तीय दायित्व विवरण

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
अन्य दायित्व	2,241,948	1,195,579	403,092
देय व्यय	333,868	-	-
कुल अन्य वित्तीय दायित्व	2,575,816.86	1,195,579.00	403,092.00

नोट : 15

अन्य चालू दायित्व विवरण

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018	31 मार्च 2017
15.1 अन्य अग्रिम			
कर एवं शुल्क	297,575	618,119	-
देय लाभांश	-	-	-
कुल	297,575	618,119	-

नोट : 16

परिचालन राजस्व विवरण

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
परिचालन से राजस्व		
- संपत्ति प्रबंधन शुल्क	68,513,412	73,109,814
कुल	68,513,412	73,109,814

नोट : 17

अन्य आय विवरण

विवरण			31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
अन्य आय			14,479,735	11,735,617
कर पूर्व शुद्ध लाभ			44,774,477	32,092,617
प्रतिशत			32%	37%
आय का स्रोत				
गैर संबंधित और आवर्ती				
ब्याज आय				
एफडीआर और टीडीआर पर ब्याज आय (सकल)			14,050,322	11,557,072
आय कर वापसी पर ब्याज आय			-	171,437
अन्य गैर परिचालन आय			431,389	7,108
	(a)		14,481,711	11,735,617
संबंधित और आवर्ती				
विविध आय			-	-
	(b)		-	-
	कुल	(a+b)	14,481,711	11,735,617

नोट : 18

कर्मचारी लाभ व्यय विवरण

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
(क) वेतन और मजदूरी	18,973,552	18,390,872
(ख) एनपीएस और अन्य फंड में योगदान	669,688	607,000
(ग) मजदूरी संशोधन और अन्य मजदूरी के लिए प्रावधान	-	2,200,342
(घ) अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	273,777	100,148
(ड.) एलटीसी के लिए प्रावधान	268,155	(936,844)
(च) सेवानिवृत्ति के बाद मेडिकल लाभ के लिए प्रावधान	358,135	265,952
(छ) सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान	319,164	246,022
(ज) स्टाफ वेलफेयर व्यय	119,628	258,891
कुल	20,982,100	21,132,383

नोट : 19
वित्तीय शुल्क विवरण

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
	-	-
कुल	**-**	**-**

नोट : 20
मूल्यह्रास और हानि विवरण

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास	65,070	107,148
अमूर्त संपत्तियों पर परिशोधन	23,388	28,738
कुल	**88,458**	**135,886**

नोट : 21
अन्य व्यय विवरण

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
प्रशासनिक व्यय	2,631,166	5,892,449
न्यायायिक एवं व्यवसायिक शुल्क	950,784	891,968
निदेशक बैठक शुल्क	240,000	430,000
किराया	8,314,824	8,498,787
सदस्यता शुल्क	811,646	292,437
सॉफ्टवेयर व्यय	2,758,005	2,586,443
पुस्तकें और पत्रिकाएँ	34,565	-
बैंक शुल्क	2,836	-
व्यापक स्वास्थ्य जाँच	33,000	-
यातायात व्यय	58,852	-
आउटसोर्सिंग व्यय	1,151,910	1,480,601
लेखा शुल्क	162,500	130,000
कुल	**17,150,088**	**20,202,685**

नोट : 22
सीएसआर और आर एण्ड डी व्यय विवरण

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
(क) सीएसआर व्यय	-	-
(ख) शोध एवं विकास व्यय	-	-
कुल	**-**	**-**

नोट : 23
कर व्यय विवरण

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
चालू आय कर :		
चालू आय कर शुल्क	10,836,929	14,626,867
पिछले वर्ष के चालू आय कर से संबंधित समायोजन	-	-
आस्थगित कर :		
अस्थायी मतभेदों के उलट एवं व्युत्पति से संबंधित	(22,883)	110,467
	10,814,046	**14,737,334**

23.1 अन्य व्यापक आय सेक्शन विवरण
वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से आस्थगित कर

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुर्नभुगतान पर शुद्ध हानि/(लाभ)	161,455	252,132
कुल	**161,455**	**252,132**

23.2 वर्ष 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2018 के लिए भारतीय घरेलू आय दर तथा लेखा लाभ और कर व्यय सुलह का गुणा।

विवरण	31 मार्च 2019	31 मार्च 2018
निरंतर कार्य कर से पहले लेखा लाभ	44,194,121	42,468,178
	44,194,121	**42,468,178**
मैट के अनुसार गणना		
भारतीय वैधानिक आय कर दर 20.5868% पर	9,098,155	7,552,716
कमी : भारतीय लेखा मानक समायोजन	-	-
कमी : लाभांश आय (छोड़कर)	-	-
योग : नियम 8डी के अनुसार व्यय अमान्य	-	-
योग : टीडीएस पर ब्याज	-	-
योग : आयकर पर ब्याज	-	-
मैट के अनुसार देय कर	**9,098,155**	**7,552,716**
कमी : आस्थगित कर संपत्ति	(187,338)	(141,665)
पुनरावर्तन का प्रभाव	-	-
कर व्यय	**8,913,817**	**7,411,051**

नोट : 24
अन्य व्यापक आय के घटक (ओसीआई)
इक्विटी में प्रत्येक प्रकार के रिजर्व द्वारा ओसीआई में परिवर्तन की असहमति नीचे दी गई है।

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनःपूर्ति	(580,356)	(906,298)
उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे	161,455	252,132
कुल	**(418,901)**	**(654,166)**

नोट : 25
कंपनी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए है कि वह कंपनी जारी रख सकती है, जारी रखने की अपनी क्षमता को सुनिश्चित करने और सुरक्षित रखने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करना है। शेयर धारकों को अधिकतम लाभ प्रदान करने और अन्य हित धारकों को लाभ प्रदान करने के लिए कंपनी ने विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान किया है। सार्वजनिक उपक्रम (डीपीई) निम्नानुसार हैं :

लाभांश

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
लाभांश दिया	-	-	-
कुल	-	-	-

इसके अलावा, कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव और वित्तीय वाचाओं की आवश्यकताओं के प्रकाश में समायोजन करने के लिए करती है।

ऋण इक्विटी अनुपात

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
उधार	-	-	-
लंबी अवधि के ऋण	-	-	-
इक्विटी (नोट नं. 11)	125,000,000	125,000,000	125,000,000
अन्य इक्विटी (नोट नं. 12)	100,125,795	100,125,795	38,601,290
कुल इक्विटी	**225,125,795**	**191,584,266**	**163,601,290**
ऋण इक्विटी अनुपात	**0:100**	**0:100**	**0:100**

इस समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, कंपनी की पूंजी प्रबंधन, अन्य बातों के अलावा, यह सुनिश्चित करना है कि यह वित्तीय संलग्नक से जुड़ी है। ब्याज–असर वाले ऋण और उधार जो पूंजी संरचना आवश्यकताओं को परिभाषित करते हैं।

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्षों के दौरान पूंजी के प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

नोट 25 : उचित मूल्य माप
(i) श्रेणी द्वारा वित्तीय उपकरण

विवरण	3/31/2019			3/31/2018			3/31/2017		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	अमूर्त लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	अमूर्त लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	अमूर्त लागत
वित्तीय संपत्ति									
ऋण	-	-	102,524	-	-	296,155	-	-	250,183
निवेश	-	-	225,889,053	-	-	188,119,353	-	-	160,618,418
नकद और नकद समकक्ष	-	-	33,958	-	-	29,061	-	-	25,229
बैंक शेष के अलावा नकद और नकद समकक्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य वित्तीय संपत्ति									
अन्य प्राप्तियां	-	-	916,892	-	-	11,142,941	-	-	2,922,074
कुल वित्तीय संपत्ति	**-**	**-**	**226,942,427**	**-**	**-**	**199,587,510**	**-**	**-**	**163,815,904**
वित्तीय दायित्व									
अन्य देनदारियां	-	-	2,575,817	-	-	1,195,579	-	-	403,092
कुल वित्तीय दायित्व	**-**	**-**	**2,575,817**	**-**	**-**	**1,195,579**	**-**	**-**	**403,092**

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य जो परिशोधन लागत पर मापा जाता है :

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	
	मूल कीमत	उचित मूल्य	मूल कीमत	उचित मूल्य	मूल कीमत	उचित मूल्य
वित्तीय संपत्ति						
जमानत राशि	-	-	-	-	-	-
कुल संपत्ति	-	-	-	-	-	-
वित्तीय दायित्व						
विविध जमा	-	-	-	-	-	-
कुल संपत्ति	-	-	-	-	-	-

i) अल्पावधि प्रकृति के कारण व्यापार प्राप्य, व्यापार भुगतान, नकद और नकद समकक्ष और अन्य अल्पकालिक व्यापार प्राप्य और देय राशि की वहन मात्रा 12 महीने के भीतर तय किए जाने को उनके उचित मूल्यों के रूप में माना जाता है।

ii) भारतीय लेखा मानक के पैरा 27 के द्वारा प्रदान की गई छूट के अनुसार सहायक और संयुक्त उद्यमों की निर्विवाद इक्विटी में निवेश को लागत पर कहा गया है।

iii) कर्मचारियों के ऋण और अग्रिमों को मूल्य निर्धारण के रूप में जारी रखा गया है क्योंकि माप के निहितार्थ अपरिहार्य हैं।

31 मार्च 2019 को

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय संपत्ति				
अमूर्त लागत पर वित्तीय संपत्ति				
जमानत राशि	224,000	-	-	224,000
	224,000	**-**	**-**	**224,000**

31 मार्च 2019 को

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय दायित्व				
अमूर्त लागत पर वित्तीय संपत्ति				
विविध जमा	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**

31 मार्च 2018 को

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय संपत्ति				
अमूर्त लागत पर वित्तीय संपत्ति				
जमानत राशि	224,000	-	-	224,000
	224,000	**-**	**-**	**224,000**

31 मार्च 2018 को

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय दायित्व				
अमूर्त लागत पर वित्तीय संपत्ति				
विविध जमा	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**

31 मार्च 2017 को

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय संपत्ति				
अमूर्त लागत पर वित्तीय संपत्ति				
जमानत राशि	170,000	-	-	224,000
	170,000	**-**	**-**	**224,000**

31 मार्च 2017 को

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय दायित्व				
अमूर्त लागत पर वित्तीय संपत्ति				
विविध जमा	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**

(iii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में व्यापार और पट्टे की प्राप्ति और नकद और नकद समतुल्य शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी का बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम का खुलासा होता है। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ विनियोजित नीतियों द्वारा नियंत्रित होती हैं और प्रक्रियाओं और वित्तीय जोखिम की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनियों की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा और सहमति प्रदान करते हैं।

नोट 26 अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

अनुवर्ती भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण धारणाएं हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमान अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत जो हो सकते हैं। अगले वित्तीय वर्ष के साथ परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्री समायोजन का एक महत्वपूर्ण जोखिम है।

क) उचित मूल्यांकन माप और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों को मापा जाता है। इन पद्धति के इनपुट जहां संभव हो, वे अवलोकन बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों की स्थापना में निर्णय की एक डिग्री की आवश्यकता होती है। इसमें लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क और अस्थिरता जैसे इनपुट के विचार शामिल हैं। इन कारकों के बारे में मान्यताओं में परिवर्तन रिपोर्ट किए गए वित्तीय साधनों का मूल्य को प्रभावित कर सकता है।

ख) कर

अप्रत्यक्ष कर संपत्ति को अप्रयुक्त कर नुकसान के लिए पहचाना जाता है और इस हद तक अघोषित मूल्यह्रास की संभावना है कि यह कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिन नुकसानों के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय का उपयोग किया जा सकता है, उनके लिए निर्धारित की गई कर परिसंपत्ति की मात्रा को निर्धारित करना आवश्यक है, जिसे मान्यता दी जा सकती है, भविष्य की कर योजना रणनीतियों के साथ भविष्य के कर योग्य लाभ की संभावित समय और स्तर के आधार पर।

नोट : 27

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
इक्विटी पर प्रभाव वृद्धि/(कमी)			
विविध देनदार	-	-	-
इक्विटी पर शुद्ध प्रभाव	-	-	-

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
लाभ और हानि विवरण पर प्रभाव वृद्धि/(कमी)	-	-	-
	-	-	-
इक्विटी होल्डर्स के लिए सहायक	-	-	-

बेसिक और डिल्यूटेड आय प्रति शेयर (ईपीएस) पर प्रभाव वृद्धि/(कमी)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
निरंतर कार्य पर प्रति शेयर आय			
निरंतर कार्य से बेसिक, लाभ जो सहायक है इक्विटी होल्डर्स से	-	-	-
निरंतर कार्य से डिल्यूटेड, लाभ जो सहायक है इक्विटी होल्डर्स से	-	-	-

नोट 28:– प्रबंधन शुल्क

28.1 आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड को प्रदान की गई सेवाओं से संग्रह को प्रबंधन शुल्क के रूप में माना जाता है। इस तरह के संबंध में इसी वर्तमान संपत्ति और देनदारियों शुल्क व्यय के आधार पर पर्यवेक्षण शुल्क के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्राप्त अग्रिम का खुलासा वर्तमान देनदारियों के तहत किया जाता है और शुल्क के कारण वसूली योग्य राशि संड्री डेब्टर्स के तहत किया जाता है।

नोट 29 :– सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नियम, 2009 के द्वारा आवश्यक खुलासा नीचे दी गई है।

कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नियम, 2009 के तहत नहीं आती है।

नोट 30:– विदेशी मुद्रा में व्यय

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
क– लाभ या हानि (वित्तीय उपकरण जिसे उचित मूल्य पर मापा गया है उसे छोड़कर)			
यात्रा व्यय	-	-	-
परियोजना प्रबंधन कंसल्टेंसी	-	-	-
ख– अन्य व्यापक आय	शून्य	शून्य	शून्य

नोट 31:– प्रबंधकीय पारिश्रमिक

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
1	**लघु अवधि कर्मचारी लाभ**			
	वेतन एवं भत्ते	**14,564,911**	**10,680,069**	**10,754,296**
	श्री अनिल तनेजा	6,859,997	2,369,316	-
	डॉ. ई.एस. राव	-	1,482,999	3,455,713
	श्री अजय पी.एस. सैनी	4,449,720	3,881,573	3,912,623
	श्री सुमिरन बंसल	3,255,194	2,946,181	3,385,960
	बैठक शुल्क	240,000	430,000	360,000
	डॉ. पवन सिंह	80,000	200,000	130,000
	श्री सुधीर आर्य	140,000	160,000	60,000
	श्री एम.एन. शर्मा	20,000	70,000	170,000
2	**रोजगार के बाद का लाभ**			
	ग्रेच्यूटी	-	-	-
	भविष्य निधि में योगदान	-	-	-
	कुल	**14,804,911**	**11,110,069**	**11,114,296**

नोट 32 :– प्रति शेयर आय :

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
	(रूपये प्रति शेयर)	(रूपये प्रति शेयर)	(रूपये प्रति शेयर)
मूल ईपीएस			
निरंतर संचालन से	2.72	2.24	0.81
अनिरंतर संचालन से	-	-	-
डिल्यूटेड ईपीएस			
निरंतर संचालन से	2.72	2.24	0.81
अनिरंतर संचालन से	-	-	-

The earnings and weighted average number of equity shares used in calculation of basic earning per share:-

नोट 32.1 :– प्रति शेयर मूल आय :

प्रति शेयर मूल आय की गणना में आय और भारित औसत इक्विटी शेयर संख्या का उपयोग किया गया है।

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ			
निरंतर संचालन	33,960,431	27,982,975	10,106,917
अनिरंतर संचालन	-	-	-
प्रति शेयर मूल आय की गणना में आय का उपयोग	33,960,431	27,982,975	10,106,917
प्रति शेयर मूल आय की गणना में भारित औसत शेयर की संख्या का उपयोग	12,500,000	12,500,000	12,500,000

32.2 डिल्यूटेड प्रति शेयर आय

प्रति शेयर डिल्यूटेड आय की गणना में आय और भारित औसत इक्विटी शेयर संख्या का उपयोग किया गया है।

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ			
निरंतर संचालन	33,960,431	27,982,975	10,106,917
अनिरंतर संचालन	-	-	-
निरंतर संचालन प्रति शेयर डिल्यूटेड आय की गणना में आय का उपयोग	33,960,431	27,982,975	10,106,917

प्रति शेयर आय अर्जित करने के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या का उपयोग किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के लिए सामंजस्य है। प्रति शेयर मूल आय की गणना निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष
मूल आय प्रति शेयर की गणना में भारित औसत इक्विटी शेयर संख्या का उपयोग	12,500,000	12,500,000	12,500,000
डिल्यूशन पर प्रभावः			
शेयर विकल्प	-	-	
डिल्यूटेड आय प्रति शेयर की गणना में भारित औसत इक्विटी शेयर संख्या का उपयोग	12,500,000	12,500,000	12,500,000

नोट 33 : समूह की संरचना

कंपनी का नाम	प्रधान गतिविधि	निगमीकरण का स्थान और संचालन	कम्पनी द्वारा आयोजित स्वामित्व हित और मतदान शक्ति का अनुपात		
			31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
अधिकार वाली कंपनी					
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में व्यावसायिक रूप से दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने में लगे हुए हैं	भारत	100%	100%	100%

नोट 34 : भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार ''संबंधित पक्ष खुलासा''

34.1 मुख्य प्रबंधन कर्मी :

श्री पंकज जैन	अध्यक्ष (18 जनवरी 2018 से)
श्री संजीव कौशिक	अध्यक्ष (29 जून 2017 से 17 जनवरी 2018 तक)
श्री एस. बी. नायर	अध्यक्ष (11 जून 2017 से समाप्त)
श्री अनिल तनेजा	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (25 अगस्त 2017 को नियुक्त)
डॉ. ई. एस. राव	निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (17 अगस्त 2017 से समाप्त)
श्री अजय पी.एस. सैनी	कंपनी सचिव
श्री सुमिरन बंसल	मुख्य वित्त एवं सीएफओ

34.2 उद्यम जिनमें निदेशक की रूचि मौजूद है :

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
आईआईएफसीएल (यूके) लिमिटेड
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

34.3 संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन का खुलासा :

विवरण	लेन–देन			बकाया राशि* (असुरक्षित, ठीक मान्य)		
	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
मुख्य कार्मिक को पारिश्रमिक	देखें नोट 31	देखें नोट 31	देखें नोट 31			
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड				1,888,210	43,135	
आईआईएफसीएल को किराया प्रतिपूर्ति	8,314,824	8,498,787	8,662,122	-	-	-
आईआईएफसीएल को कार्यालय और प्रशासनिक किराया प्रतिपूर्ति	1,050,080	1,732,497	1,732,005	-	-	-
आईआईएफसीएल को निदेशक पारिश्रमिक	6,859,997	4,385,552	3,455,713	-	-	-

नोट 35 : वित्तीय विवरण की स्वीकृति

26 अप्रैल, 2019 को निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरण की स्वीकृति मान्य

नोट 36 : परिचालन चक्र

कंपनी का परिचालन चक्र सेवा की शुरुआत से सेवा के पूरा होने तक आवश्यक समय पर आधारित है। पूरा करने के लिए आवश्यक अवधि प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट में भिन्नता है। हालांकि, सामान्य तौर पर, अवधि 12 महीने है।

नोट 37 :

कंपनी ने लागू वित्तीय पुनरावृत्ति ढांचे की आवश्यकता के अनुसार, भारतीय लेखा मानक 115 (ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व) को अपनाया है, इस भावना के कारण आईएएमसीएल के वित्तीय वक्तव्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

नोट 38 :

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ पुष्ट करने के लिए पुनर्व्यवस्थित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

कृते : मैसर्स राजेश कृष्ण खन्ना एंड एसोसिएट्स
(चार्टर्ड एकाउटेंट्स)
एफआरएन – 007694एन

आई .आई.एफ.सी.एल.एसेट मैनजमेंट कंपनी लिमिटेड

सी.ए राजेश खन्ना	**पंकज जैन**	**अनिल तनेजा**	**अजय पीएस सैनी**	**सुमिरन बंसल**
पार्टनर	**(अध्यक्ष)**	**(सीईओ)**	**(कंपनी सचिव)**	**(मुख्य वित्त एवं सीएफओ)**
सदस्य सं. 086321	**डीआईएन – 00675922**	**डीआईएन – 07915933**	**एफसीएस – 5786**	**एसीए – 535730**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 26 अप्रैल 2019

आई.आई.एफ.सी.एल. एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार के उपक्रम आई.आई.एफ.सी.एल. की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी)

सी.आई.एन. : U65991DL2012GOI233601

पंजीकृत कार्यालय : पाँचवां तल, प्लट–ए, एनबीसीसी टॉवर–02, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023
फोन : 011–24665900–10
ई–मेल : comlianceofficer@iifclmf.com वेबसाइट : www: iifclmf.com

उपस्थिति पर्ची

उपस्थिति होने वाले सदस्य का नाम (साफ अक्षरों में)	
फोलियो नं.	
स्वामित्व वाले शेयरों की संख्या	
प्रॉक्सी का नाम (साफ अक्षरो में, तभी भरें जबकि सदस्य के स्थान पर प्रॉक्सी को उपस्थित होने हो)	

मैं एतद्द्वारा इंडिया इंफ्रास्टंक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आई.आई.सी.एल.), पाँचवां तल, प्लट–ए, एनबीसीसी टॉवर–02, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023 के बोर्ड रूम में .....को आयोजित कंपनी की सातवीं आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता/कराती हूं।

सदस्य/प्रॉक्सी हस्ताक्षर

नोट्स :

1. **उपस्थिति पर्ची पर कंपनी में पंजीकृत हस्ताक्षर के नमूने के अनुसार हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रकार से पूरे भरे उपस्थिति पर्ची (पर्चियों) को स्थल पर प्रमुख कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी के सुपुर्द किया जाना चाहिए।**
2. **सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया पहचान/सत्यापन के लिए फोटो पहचान–पत्र साथ लाएं।**
3. **स्वयं उपस्थित होने वाले शेयरधारकों या पंजीकृत प्रॉक्सी के जरिए होने वाली उपस्थिति ही मान्य होगी।**
4. **सालाना आम बैठक पर कोई उपहार वितरित नहीं होगें।**

फार्म संख्या एम.जी.टी.–11
प्रॉक्सी फॉर्म
{कंपनी एक्ट 2013 के अनुच्छेद 105 (6) और कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 के नियम 19(3) के अनुसार}

सी आई.एन : U65991DL2012GOI233601
कंपनी का नाम : आई.आई.सी.एल. एसेट मैंनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : पाँचवां तल, प्लट–ए, एनबीसीसी टॉवर–02, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023

सदस्यों का नाम :	
पंजीकृत पता :	
ई–मेल आईडी :	
फोलिया सं./क्लायंट आईडी :	
डी.पी.आई.डी :	

मैं/हम उपरोक्त नाम वाली कंपनी के .....शेयरों के सदस्य होने के कारण एतद्द्वारा नियुक्त करते हैं

1. नाम : .....
   पता : .....
   ई–मेल आईडी : .....
   हस्ताक्षर : ..... को या उसकी अनुपस्थिति में

2. नाम : .....
   पता : .....
   ई–मेल आईडी : .....
   हस्ताक्षर : ..... को या उसकी अनुपस्थिति में

3. नाम : .....
   पता : .....
   ई–मेल आईडी : .....
   हस्ताक्षर : ..... को या उसकी अनुपस्थिति में

शुक्रवार 27 सितंबर, 2019 को 2.30 बजे, इंडिया इंफ्रास्टंक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल), पाँचवां तल, प्लट–ए, एनबीसीसी टॉवर–02, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023 के बोर्ड रूप में आयोजित होने वाली कंपनी की सातवीं सालाना आम बैठक में अपने/हमारे प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होने और नीचे दर्शाए गए ऐसे प्रस्तावों के संदर्भ में होने वाले किन्हीं भी कार्य–स्थगन पर अपने/हमारे प्रॉक्सी के रूप में उपस्थित होने और मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट डालने (किसी मतदान में) के लिए नियुक्त करता हूं/नियुक्त करते हैं:

प्रस्ताव संख्या
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

इस पर .....दिन और ..... 2019 को हस्ताक्षर किए गए

1 रूपये का राजस्व टिकट लगाएं

शेयरधारक के हस्ताक्षर
प्रॉक्सी धारक(कों) के हस्ताक्षर

नोटः प्रॉक्सी के इस फॉर्म को प्रभावी होने के लिए बैठक के आरंभ होने से कम से कम 48 घंटे पहले पूरा भरा हुआ और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर जमा किया होना चाहिए।

आई.आई.एफ.सी.एल.एसेट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड (आई.आई.एफ.सी.एल.) की 6वीं सालाना बैठक के स्थल हेतु मानचित्र

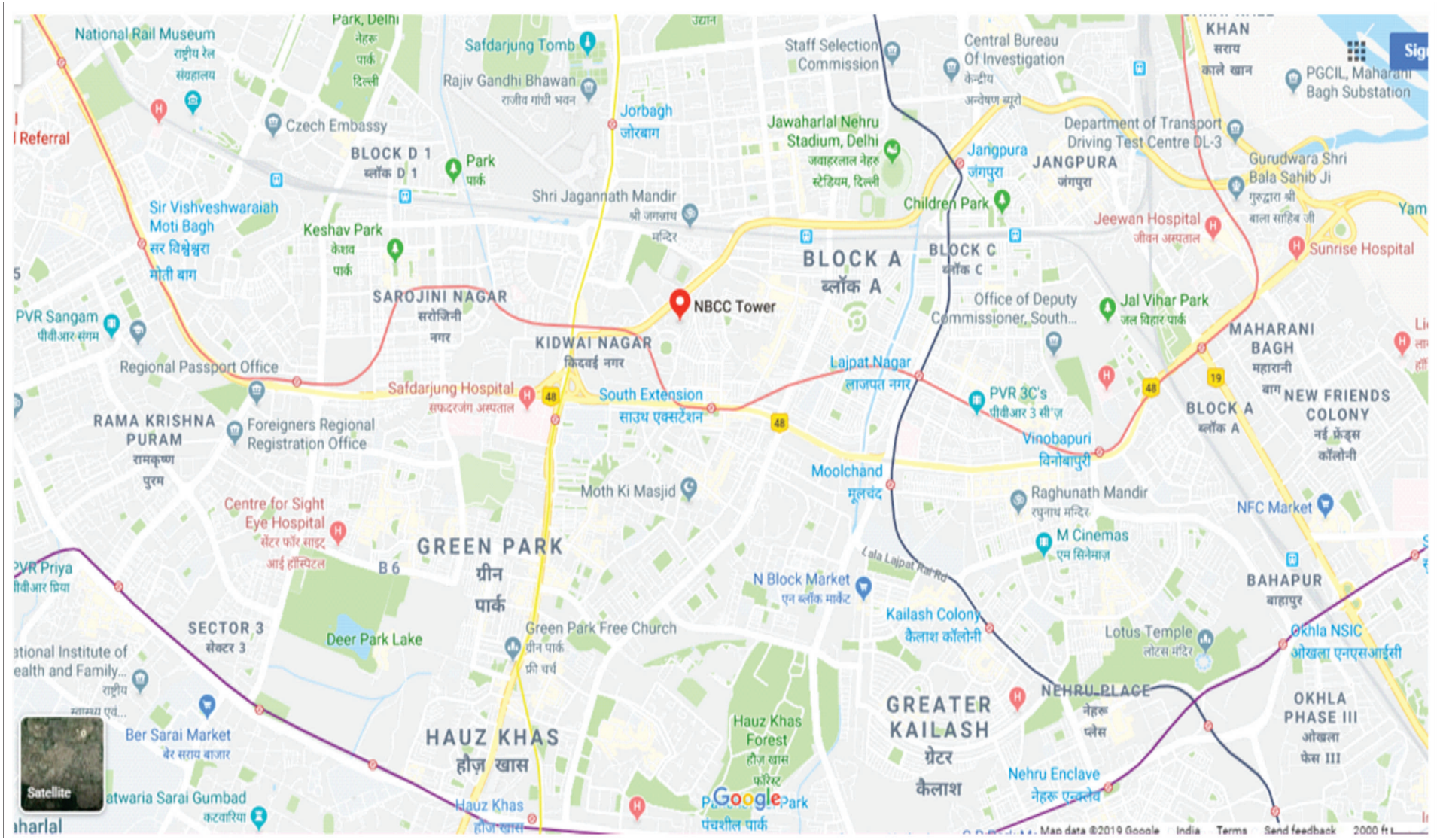

पाँचवां तल, प्लेट–ए, एनबीसीसी टॉवर–02, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023